



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 जून, 2022

ज्येष्ठ 13, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 296/79-वि-1-2022-1-क-1-2022

लखनऊ, 3 जून, 2022

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 जिससे संस्कृति अनुभाग प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 3 जून, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2022)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य में विद्यमान भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय, लखनऊ का उच्चिकरण तथा पुनर्गठन करने की दृष्टि से अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तारण विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारंभिक

1-(1) यह अधिनियम भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 कहा संक्षिप्त नाम जायेगा। और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 6 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएँ

2-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(क) "विद्या परिषद" का तात्पर्य धारा 22 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद से है;

(ख) "सम्बद्ध महाविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम और विश्वविद्यालय की परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी संस्था से है;

(ग) "स्वायत्त महाविद्यालय" का तात्पर्य धारा 40 के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में घोषित किसी सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से है;

(घ) "कुलाधिपति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है;

(ङ) "घटक महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसी किसी संस्था से है जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा परिनियमावली द्वारा इस रूप में नामित है;

(च) संस्थान के सम्बन्ध में निदेशक का तात्पर्य ऐसी संस्था के प्रमुख से है;

(छ) "कार्य परिषद" का तात्पर्य धारा 19 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से है;

(ज) "विद्यमान विश्वविद्यालय" का तात्पर्य भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय से है;

(झ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ञ) "फाउण्डेशन कोर्स" का तात्पर्य स्वयं के सम्बन्ध में और सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक वातावरण के सम्बन्ध में अधिकाधिक जागरूकता के पाठ्यक्रम से है;

(ट) "हॉल" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त विद्यार्थियों की आवास इकाई से है, जिसमें अनुशिक्षण तथा अन्य अनुपूरक अनुदेशों हेतु उपबन्ध किया जाता है;

(ठ) "छात्रावास" का तात्पर्य किसी हॉल से भिन्न विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षित या मान्यता प्राप्त छात्रों की आवास इकाई से है और किसी सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय का छात्रावास का तात्पर्य उस महाविद्यालय के छात्रों के लिए किसी निवास इकाई से है;

(ड) "संस्थान" का तात्पर्य धारा 41 के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी संस्थान से है;

(ढ) किसी सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में "प्रबन्ध तंत्र" का तात्पर्य प्रबन्ध समिति या ऐसे अन्य निकाय से है जो उस महाविद्यालय के मामलों का प्रबन्ध करने हेतु प्रभारित हो और विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त हो;

(ण) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" के वही अर्थ होंगे जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में है;

(त) "विहित" का तात्पर्य परिनियमावली द्वारा विहित से है;

(थ) किसी सम्बद्ध, मान्यता प्राप्त या संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में "प्राचार्य" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय के प्रधान से है, जिसमें प्राचार्य के रूप में कार्य करने हेतु तत्समय सम्यक रूप से नियुक्त व्यक्ति और प्राचार्य या कार्यवाहक प्राचार्य की अनुपस्थिति में इस रूप में सम्यक रूप से नियुक्त उप प्राचार्य सम्मिलित है;

(द) "कुलसचिव" का तात्पर्य धारा 14 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुल सचिव से है;

(ध) "मान्यता प्राप्त महाविद्यालय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त और इस अधिनियम तथा विश्वविद्यालय की परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय की उपाधि में प्रवेश के लिए आवश्यक अध्यापन का उपबन्धन करने के लिए प्राधिकृत किसी संस्था से है;

(न) "सचिव" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन के सम्बन्धित विभाग के यथास्थिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव से है;

(प) "स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम" का तात्पर्य ऐसे किसी पाठ्यक्रम से है, जिसके सम्बन्ध में समस्त वित्तीय दायित्वों का वहन किसी मान्यता प्राप्त या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्ध तन्त्र द्वारा या विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा;

(फ) "राज्य के ज्येष्ठ अधिकारियों" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में तैनात उत्तर प्रदेश के प्रान्तीय सेवा के अधिकारियों से है;

(ब) "परिनियमावली", "अध्यादेश" और "विनियमावली" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय की परिनियमावली, अध्यादेश और विनियमावली से है;

(भ) "अध्यापक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय के किसी संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या संस्थान में अनुदेश प्रदान करने वाले या शोध हेतु मार्गदर्शन करने वाले आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या परिनियमावली द्वारा अध्यापक घोषित किये जाने वाले अन्य व्यक्तियों से है;

(म) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय से है;

(य) "कुलपति" और "प्रतिकुलपति" का तात्पर्य क्रमशः धारा 11 और 13 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति कुलपति से है।

अध्याय—दो विश्वविद्यालय

3-(1) ऐसे दिनांक से, जो राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उत्तर प्रदेश राज्य में "भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

विश्वविद्यालय
की स्थापना
और निगमन

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय इस रूप में कार्य करने से प्रविरत हो जायेगा और उक्त सम विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां तथा देनदारियां विश्वविद्यालय को अन्तरित हुई मानी जायेंगी।

(3) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा। कुलाधिपति, कुलपति और कार्य परिषद तथा विद्या परिषद के सदस्यों, जो तत्समय विश्वविद्यालय में इस रूप में पद धारण कर रहे हों, से उक्त निगमित निकाय गठित होगी।

(4) विश्वविद्यालय का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

(5) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुहर होगी और वह अपने नाम से वाद लायेगा और उस पर वाद चलाया जाएगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय के संबंध में :-

(क) राज्य सरकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतरिम अधिकारियों की नियुक्ति करेगी और ऐसे विश्वविद्यालय के अंतरिम प्राधिकरणों का गठन इस तरह से करेगी जो वह ठीक समझे;

(ख) नियुक्त अधिकारी और खंड (क) के अधीन गठित प्राधिकरणों के सदस्य तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि अधिकारियों की नियुक्ति या खंड (ग) के अनुसार प्राधिकरणों का गठन नहीं हो जाता है या ऐसे अन्य पूर्ववर्ती दिनांक तक पद धारण करेंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाय :

परन्तु यह कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्राधिकरणों के सदस्यों की अवधि को अनधिक एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन और अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कदम उठाएगी, ताकि खण्ड (ख) के अधीन अंतरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की संबंधित शर्तों की समाप्ति से पूर्व उसे पूरा किया जा सके।

विश्वविद्यालय
के उद्देश्य

4-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:-

(एक) भारत में संगीत, कला और संस्कृति की समस्त शाखाओं में अनुदेश और प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि संगीत, कला और संस्कृति की शिक्षा में उच्चतम मानक प्राप्त किया जा सके और इसे वृहद स्तर पर समाज में प्रसारित किया जा सके;

(दो) भारत और विदेशों में भारतीय शास्त्रीय संगीत, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ज्ञान की उन्नति और प्रसार के लिए अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत और विदेशों में विश्वविद्यालय के नए परिसर की स्थापना करना;

(तीन) समाज के विकास में योगदान करने के लिए अतिरिक्त भित्ति अध्ययन, विस्तार कार्यक्रम और फील्ड आउटरीच सम्बन्धी गतिविधियाँ करना;

(चार) शास्त्रीय संगीत की उन्नति के लिए एक ऐसी संस्था के रूप में स्वामित्व, प्रबंधन और विकास करना जो जाति, पंथ, नस्ल और धर्म, आर्थिक स्थिति या सामाजिक प्रास्थिति पर ध्यान दिये बिना सभी के लिए खुला हो;

(पाँच) मानवता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के मूल मूल्यों को धारण करने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए पूर्ण प्रतिक्रिया देने में सक्षम, और एक मजबूत चरित्र और उच्च नैतिक मानक रखने वाले व्यक्ति का संगीत सम्बन्धी बौद्धिक भावनात्मक और नैतिक एकीकरण करना;

(छः) शास्त्रीय, गायन और वाद्य प्रारूप में उत्कृष्ट संगीत शिक्षा और शास्त्रीय तथा समकालीन प्रारूपों में नृत्य शिक्षा आयोजित तथा प्रदान करना;

(सात) वर्तमान समय के अधिकाधिक संगीतपरक समाज के प्रति अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल व्यक्ति बनाने के लिए व्यावहारिक संगीत तथा संगीत शास्त्र में किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित करना तथा उसमें संगीतात्मक प्रवृत्ति विकसित करना;

(आठ) सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन को बढ़ावा देना और मानवीय स्पर्श करने के निमित्त संगीतात्मक पृष्ठभूमि प्रदान करना जिससे कि यांत्रिक दुनिया की कठोरता को कम किया जा सके;

(नौ) भारत के लोक संगीत और नृत्य को बढ़ावा देना, संरक्षित करना और प्रोत्साहित करना;

(दस) संगीत-विज्ञान और भारतीय शास्त्रीय संगीत, गायन, वाद्य और नृत्य की सभी तीन शाखाओं में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना;

(ग्यारह) टेपों, अभिलेखों, पांडुलिपियों, तस्वीरों, उपकरणों, परिधानों और आभूषणों आदि के रूप में सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय रचनाओं का संग्रह और संरक्षण करना;

(बारह) लघु अवधि और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, शीष्मकालीन शिविर आदि का आयोजन और संचालन करना और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के संबंध में व्याख्यान देने के लिए देश और विदेश के विशेषज्ञों और शोधार्थियों को आमंत्रित करना;

(तेरह) प्रदर्शन कला, फिल्म निर्माण, दृश्य कला, पुरातत्व, संगीत विज्ञान और अभिलेखागार के क्षेत्र में रोजगारोन्मुख डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रदान करना;

(चौदह) भारतीय संगीत के प्रशिक्षण और प्रचार के साथ-साथ विश्वविद्यालय के अन्य उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सामान्यजन और संगीत पारखी लोगों के सामने संगीत कार्यक्रमों का निर्माण, निर्देशन और प्रदर्शन करना;

(पन्द्रह) कोरियोग्राफी, स्क्रिप्ट राइटिंग, सिनेमैटोग्राफी, म्यूजिक कंपोजिशन, लिब्रेक्स राइटिंग, सॉन्ग रिकॉर्डिंग, म्यूजिक डिजाइनिंग, एंकरिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, मेकअप, लाइट डिजाइनिंग, इंस्ट्रूमेंट मेकिंग के क्षेत्र में अध्यापन और विद्यार्जन के संबंध में विभिन्न पाठ्यक्रम आरम्भ करना और भारतीय संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना;

(सोलह) भारतीय संगीत, कला और संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक शोध जर्नल प्रकाशित करना;

(सत्रह) संग्रहालय, पुरातत्व, अभिलेखागार के क्षेत्र से सम्बंधित विषय-विशेषज्ञों, प्रतिष्ठित गायकों, वादकों, नृत्य उस्तादों, चित्रकारी तथा पेन्टिंग कलाकारों को कार्यशालाओं में प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित करना और संस्थान के दृश्य-श्रव्य पुस्तकालय के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करने के अतिरिक्त उत्कृष्ट पाठ्यतर गतिविधियों का संचालन करना;

(अट्ठारह) सर्वोत्तम शास्त्रीय रचनाओं, पांडुलिपियों, तस्वीरों, उपकरणों, परिधानों, आभूषणों, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आदि का संग्रह, मूल्यांकन और संरक्षण करना;

(उन्नीस) उत्तर प्रदेश और भारत की लोक संस्कृति के प्रदर्शन, संरक्षण और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना;

(बीस) सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय रचनाओं, पांडुलिपियों, तस्वीरों, उपकरणों, परिधानों, आभूषणों, ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग आदि का संग्रह, मूल्यांकन और संरक्षण करना;

(इक्कीस) सेमिनार एवं प्रदर्शन में सम्मिलित होने हेतु छात्रों, शिक्षकों की विदेश यात्रा सुगम बनाना, साथ ही उनके अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और विदेशों में सांस्कृतिक और शैक्षणिक संपर्कों को बढ़ावा देना;

(बाइस) सम्बद्धता प्रदान करना और हमारे देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों के अन्य देशों से एक ही प्रकृति के विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों और अकादमियों के साथ एम0ओ0यू0 करना;

(तेइस) वैश्वीकरण के डिजिटल युग में वास्तविक और आभासी दोनों तरह के अध्यापन के माध्यम से दुनिया के लिए सुलभ, शुद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध करने के लिए विश्वविद्यालय में एक अनुसंधान और दस्तावेजीकरण प्रकोष्ठ की स्थापना करना;

(चौबीस) भारतीय संस्कृति की गुरु शिष्य परंपरा, परंपरा को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना;

(पच्चीस) एक चिकित्सीय साधन के रूप में संगीत में अनुसंधान प्रारम्भ करना और उसमें अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना;

(छब्बीस) किन्हीं समान विश्वविद्यालयों या संस्थानों के साथ अंतर विभागीय सांस्कृतिक शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और पाठ्यक्रम स्थापित करना;

(सत्ताइस) रोजगार को बढ़ावा देने के लिए संगीत कला, संस्कृति और पर्यटन के समन्वय से उच्चतम शैक्षणिक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करना;

(अट्ठाइस) उपाधि, डिप्लोमा और अनुसंधान और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित या स्थापित किये जाने वाले विभिन्न तीर्थ विकास बोर्डों के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करना;

(उत्तीस) उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों-अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, ब्रज और पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश आदि के पारंपरिक रंगमंच में अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक अलग संकाय की स्थापना करना;

(तीस) मॉरीशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद आदि देशों में उत्तर प्रदेश शास्त्रीय घरानों, शास्त्रीय और लोक संगीत से संबंधित अध्ययन को बढ़ावा देना और केंद्र स्थापित करना;

(इक्तीस) विश्वविद्यालय के उन छात्रों को छात्रवृत्तियों की सुविधा प्रदान करना, जो संगीत, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विदेश में अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं;

(बत्तीस) विभिन्न फेलोशिप प्राप्त करने के लिए छात्रों की सहायता करना;

(तीस) छात्रों हेतु कार्यशालाओं, संगोष्ठियों का आयोजन एवं प्रदर्शन कौशल को बढ़ावा देने हेतु मिनी ऑडिटोरियम, मेगा ऑडिटोरियम एवं संगीत रचना, संपादन, डबिंग और अन्य सम्बद्ध कार्यों हेतु अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित डिजिटल स्टूडियो की स्थापना करना;

(चौत्तीस) अध्ययन एवं सम्बद्ध कार्यों हेतु एक आधुनिक डिजिटल रूप से सुसज्जित पुस्तकालय की स्थापना करना;

(पैंतीस) लोक, आदिवासी और समकालीन संगीत कला और संस्कृति से संबंधित दुर्लभ वाद्ययंत्रों का संग्रहालय स्थापित करना;

(छत्तीस) उत्तर प्रदेश राज्य, भारत और विदेश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को संगीत कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके आजीवन कार्यों और उपलब्धियों को उचित मान्यता देने हेतु सम्मानित करना एवं विश्वविद्यालय के छात्रों एवं शोधार्थियों के मध्य जिम्मेदारी की भावना एवं कौशल विकसित करके संगीत एवं कला के माध्यम में समाज की सेवा करना;

(सैंतीस) सामाजिक-सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास के कुशल माध्यमों से संगीत और कला हेतु व्याख्यान, सेमिनार, संगोष्ठी और सम्मेलन आयोजित करना;

(अड़त्तीस) परीक्षाएं आयोजित करना और उपाधियां और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करना;

(उन्तालीस) ऐसे समस्त अन्य कार्य और चीजें करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक या वांछनीय हों।

5-विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे, अर्थात्-

(एक) ज्ञान की ऐसी शाखाओं में अनुदेश की व्यवस्था करना, जिन्हें विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे, तथा अनुसंधान के लिये और कला तथा संस्कृति के ज्ञान की वृद्धि तथा प्रसार के लिये उपबन्ध करना;

(दो) किसी महाविद्यालय को यथास्थिति सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार प्रदान करना अथवा पहले से सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के विशेषाधिकारों में वृद्धि करने, या वापस लेने या उनमें कमी करने तथा सम्बद्ध और मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों का मार्गदर्शन करना और उनके कार्य को नियंत्रित करना;

(तीन) उपाधियों, डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को प्रस्तुत करना;

(चार) ऐसे व्यक्तियों के लिये परीक्षाएं आयोजित करना एवं ऐसे व्यक्तियों को उपाधियाँ, डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टियां प्रदान करना, जिन्होंने :-

(क) विश्वविद्यालय, संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त महाविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रम का अनुशीलन किया है; अथवा

(ख) विश्वविद्यालय में या उस विश्वविद्यालय तक उस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी संस्था में या स्वतंत्र रूप से परिणयमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अनुसंधान किया है; अथवा

विश्वविद्यालय
की शक्तियाँ
एवं कृत्य

(ग) पत्राचार के माध्यम से चाहे विश्वविद्यालय के किसी क्षेत्र में रहते हुए या न रहते हुए अध्ययन के पाठ्यक्रम का अनुशीलन किया है और विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट किया जाये, पंजीकृत किया गया है; अथवा

(घ) विश्वविद्यालय में या किसी संस्थान में या संघटक या सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालय में या परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अन्य किन्हीं शैक्षिक संस्थाओं में अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी हैं अथवा वे राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में स्थायी रूप से नियोजित निरीक्षण करने वाले अधिकारी हैं और जिन्होंने परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निजी अध्ययन किया है; अथवा

(ङ) विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति हैं और जिन्होंने परिनियमों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया है; अथवा

(च) नेत्रहीन है और विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तथा जिन्होंने परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया है;

(पाँच) ऐसे व्यक्तियों के लिये जो विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं, ऐसे डिप्लोमाओं को प्रदान करना, अथवा ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षा संबंधी निर्देशों का उपबन्ध करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित कर सकेगा;

(छः) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये सहयोग अथवा सहकार्य करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित कर सकेगा;

(सात) विश्वविद्यालयों द्वारा अपेक्षित अध्यापन पदों को संस्थित करना और उन पदों के लिये व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(आठ) छात्र निवास में शिक्षण प्रदान करने के लिये अध्यापकों को मान्यता प्रदान करना;

(नौ) महाविद्यालयों की सम्बद्धता अथवा मान्यता की शर्तों को निर्दिष्ट करना और समय-समय पर निरीक्षण द्वारा या अन्यथा अपना समाधान करना कि उन शर्तों को पूरा किया गया है;

(दस) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्ति, अधिछात्रवृत्तियाँ (जिनमें यात्रा अधिछात्रवृत्ति सम्मिलित है) विद्यावृत्तियाँ एवं पारितोषकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालयों, संस्थानों अथवा संघटक या सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों के छात्रों के लिये छात्र निवासों एवं छात्रवासों को संस्थित करना और उन्हें अनुरक्षित करना तथा निवास के स्थानों को मान्यता प्रदान करना;

(बारह) ऐसे शुल्कों और अन्य प्रभारों की मांग करना, एवं उन्हें प्राप्त करना जिन्हें अध्यादेशों द्वारा नियत किया जाय;

(तेरह) विश्वविद्यालय, संस्थान और संघटक या सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनके अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य के सुधार के लिये प्रबन्ध करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय संस्था और संघटक या सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त या मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विभिन्न विषयों में पुस्तकें, मोनोग्राफ, पत्रिकाएं, शोध पत्र प्रकाशित करना;

(पन्द्रह) ऋण लेना;

(सोलह) विश्वविद्यालय के उद्देश्य के लिए अनुदान, आर्थिक सहायता, सदस्यता, दान और उपहार प्राप्त करना;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट और बंदोबस्ती सम्पत्तियों सहित समस्त प्रकार की स्थावर व जंगम सम्पत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबन्धन और निस्तारण करना;

(अट्ठारह) प्रशासनिक या लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उनके लिये नियुक्तियाँ करना; और

(उन्नीस) ऐसे सभी कार्यों एवं चीजों को करना चाहें वे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषांगिक हों या न हों जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के उद्देश्य से अपेक्षित हो सकते हैं;

6- विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

7-(1) विश्वविद्यालय समस्त व्यक्तियों (अध्यापकों तथा छात्रों सहित) के लिए होगा, चाहे वे किसी भी वंश, धर्म, जाति, पंथ, वर्ग या लिंग के होंगे :

परन्तु यह कि इस धारा में कही गयी किसी भी बात का अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध करने से विश्वविद्यालय को निवारित करना नहीं समझा जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय, परिनियमावली तथा विनियमावली द्वारा यथा अवधारित छात्रों की संख्या से अधिक संख्या में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं होगा।

अध्याय—तीन

निरीक्षण और पूछताछ

परिदर्शन

8-(1) राज्य सरकार को विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संघटक महाविद्यालय या संस्था का जिसमें इसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला और उपकरण सम्मिलित हैं और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या संस्थान द्वारा किये जाने वाले अथवा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं, अध्यापन और अन्य कार्यों का ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह निर्देशित कर सकेगी, निरीक्षण कराने का अथवा उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या उस संस्थान के प्रशासन तथा वित्त से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में जाँच कराने का अधिकार होगा।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण अथवा जाँच कराने का निर्णय लेती है, वहाँ वह विश्वविद्यालय को उसके सम्बंध में कुलसचिव के माध्यम से सूचित करेगी और कार्यपरिषद द्वारा मनोनीत कोई भी व्यक्ति ऐसे निरीक्षण या जाँच के समय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहेगा और उसे उस रूप में सुने जाने का अधिकार प्राप्त होगा :

परन्तु यह कि कोई विधि व्यवसायी ऐसे निरीक्षण अथवा जाँच के समय विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित नहीं होगा, अभिवचन या कार्य नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण अथवा जाँच करने के लिये नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन वाद के विषय में विचारण करते समय शपथपूर्वक साक्ष्य लेने तथा साक्षियों की उपस्थिति कराने एवं दस्तावेजों और तात्विक वस्तुओं के प्रस्तुतीकरण को विवश करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियों प्राप्त होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 345 एवं 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय होना समझा जायेगा, और उसके अथवा उनके समक्ष किसी कार्यवाही का, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 193 एवं 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही होना समझा जायेगा।

(4) राज्य सरकार उपकुलपति को उक्त निरीक्षण अथवा जाँच के परिणाम के संदर्भ में पत्र प्रेषित करेगी और उपकुलपति कार्यपरिषद को राज्य सरकार के विचारों को ऐसी सलाह के साथ जिसे राज्य सरकार प्रभावित कर सकेगी, के साथ उस पर की जाने वाली कार्यवाई के सम्बन्ध में संसूचित करेगी।

(5) तब कुलपति ऐसे समय, जिसे राज्य सरकार नियत करे, के भीतर उसके समक्ष कार्यपरिषद द्वारा की गयी अथवा किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाई के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण, युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के लिये कार्यवाई नहीं करते हैं, तो सरकार ऐसे किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण प्रदान कर सकेंगे, ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जिन्हें वह उपयुक्त समझे, और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होंगे।

(7) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कराये जाने वाले निरीक्षण अथवा जाँच की प्रत्येक रिपोर्ट की और उपधारा (5) के अधीन उपकुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन जारी प्रत्येक निर्देश की और साथ ही ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट या संसूचना, जिसे उस निदेश के अनुपालन अथवा अनुपालन के संबंध में प्राप्त किया गया हो, की भी प्रति, कुलपति को प्रेषित करेगी।

(8) उपधारा (6) के उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कुलपति की, इस धारा की उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज या सामग्री, जिसमें इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्वयोजित जाँच की कोई रिपोर्ट सम्मिलित है, के विचारण पर, यह राय हो कि कार्यपरिषद अपने कार्यों को करने में विफल रहा है अथवा उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है तो वह उसे लिखित स्पष्टीकरण दाखिल करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेशित कर सकेगा कि उक्त कार्यपरिषद के अधिष्ठान में कुलपति अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो संख्या में 10 से अधिक नहीं होंगे, जिन्हें कुलपति अतिष्ठित कार्यपरिषद के किसी सदस्य को सम्मिलित करते हुए उस निमित्त नियुक्त कर सकेगा, को सम्मिलित करते हुए तदर्थ कार्यपरिषद ऐसी अवधि के लिये जो दो वर्ष से अधिक नहीं होगी उसे कुलपति समय-समय पर विनिर्दिष्ट कर सकेगा और उपधारा (11) के उपबन्धों के अधीन इस अधिनियम के अधीन कार्यपरिषद की समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और समस्त कार्यों का सम्पादन कर सकेगा।

(9) धारा 20 में कही गयी कोई बात, तदर्थ कार्यपरिषद के गठन के लिये लागू नहीं होगी जिसका उपधारा (8) के अधीन गठन किया जा सकेगा।

(10) उपधारा (8) के अधीन किये जा रहे आदेश पर, एतद्वारा अतिष्ठित कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों, जिनमें पदेन सदस्य सम्मिलित हैं, के पद का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा और ऐसे समस्त सदस्य उस रूप में अपने पदों को रिक्त कर देंगे।

(11) उपधारा (8) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन/अवधि के दौरान, इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन प्रभावी होंगे, अर्थात्:-

(क) धारा 19 में उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ायी गयी समझी जाएगी;

"(6) कार्यपरिषद की बैठक प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी"

(ख) धारा 20 में, उपधारा (1) में, शब्द "इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन" के पश्चात् शब्द "और कुलाधिपति के नियंत्रण के अधीन भी" बढ़ा दिए गए समझे जायेंगे;

(12) उपधारा (8) के अधीन आदेश के प्रवर्तन की अवधि के समाप्त होने के दिनांक से धारा 19 के उपबंधों के अनुसार नई कार्यपरिषद् का गठन किया जायेगा।

(13) इस अधिनियम के उपबन्धों जैसा कि वे उपधारा (11) के उपबंधों के कारण उपान्तरित हुए समझे जायेंगे, के अनुसार उपधारा (8) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन अवधि के दौरान बनायी गयी परिनियमावली, अध्यादेश विनियमावली या अन्य नियमावली ऐसी अवधि के समाप्त होते हुए भी तब तक प्रवर्तित रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उन्हें संशोधित, निरसित या विखण्डित न कर दिया जाये।

अध्याय-4

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

- (क) कुलाधिपति;
- (ख) कुलपति;
- (ग) कुलसचिव;
- (घ) वित्त अधिकारी;
- (ङ) परीक्षा नियंत्रक;
- (च) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (छ) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

कुलाधिपति

10-(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे/होंगी। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा/होंगी।

(2) मानद उपाधि प्रदत्त करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यक्षीन होगा;

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित ऐसी सूचना या अभिलेख प्रस्तुत करे जिसकी कुलाधिपति अपेक्षा करें;

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी जिन्हें इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या तद्दीन प्रदान किया जा सकता है।

कुलपति

11-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसे कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उसे ऐसे व्यक्तियों में से उपधारा (5) या उपधारा (10) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय नियुक्त किया जायेगा जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्ध के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये जायें।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) कोई ऐसा व्यक्ति (जो विश्वविद्यालय, किसी संस्थान और किसी संघटक महाविद्यालय, किसी मान्यताप्राप्त अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय या छात्र निवास या छात्रावास से या विश्वविद्यालय के किन्हीं प्राधिकरणों से सम्बन्धित न हो) कार्य परिषद् द्वारा उस दिनांक से कम से कम तीन माह पूर्व जिस दिनांक को कुलपति के पद में उसका कार्यकाल समाप्त होने के कारण रिक्ति होना देय हो, निर्वाचित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि कुलपति सहित कार्य परिषद् का कोई सदस्य कुलपति पद हेतु आवेदक हो तो वह उक्त बैठक में इस बिन्दु की कार्यसूची पर विचार विमर्श करते समय विरत रहेगा।

(ख) कोई व्यक्ति, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आसीन न्यायाधीश हो जिसमें उसका मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित है, उक्त मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो; तथा



(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो समिति का संयोजक भी होगा :

परन्तु यह कि जहां कार्य परिषद खंड (क) के अनुसार किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करने में विफल रहता है, वहां कुलाधिपति खंड (ग) के अधीन अपने द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त कार्य परिषद के प्रतिनिधि के बदले में किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा ।

(3) समिति, जहाँ तक सम्भव हो उस दिनांक से कम से कम नब्बे दिन पूर्व जिस दिनांक को कुलपति के पद में उपधारा (7) के अधीन कार्यकाल समाप्त होने अथवा त्याग पत्र के कारण रिक्ति उत्पन्न होने वाली हो और साथ ही जब कभी इस प्रकार अपेक्षित हो और उस दिनांक से पूर्व जैसा कि कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों का नाम प्रस्तुत करते समय, कुलपति पद को धारित करने के लिए उपयुक्त हो। समिति, नामों को प्रस्तुत करते समय, कुलाधिपति के समक्ष इस प्रकार सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताएं और अन्य विशिष्टताओं को दर्शित करते हुए संक्षिप्त विवरण अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेषित करेगी, किन्तु वह अधिमान के किसी क्रम को नहीं संसूचित करेगी।

(4) जहाँ कुलाधिपति, समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्तियों का कुलपति के रूप में नियुक्त हेतु उपयुक्त होना नहीं समझता है अथवा यदि सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हैं अथवा हैं और कुलाधिपति का पसंद अन्यून तीन व्यक्तियों तक सीमित हो, वहाँ समिति से उपधारा (3) के अनुसार नए नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(5) यदि समिति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट मामले में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर किन्हीं नामों का सुझाव देने में असमर्थ हो अथवा यदि कुलाधिपति कुलपति के रूप में नियुक्त उपयुक्त समिति द्वारा सिफारिश किये गये नामों में से किसी एक या अधिक नामों पर विचार नहीं करता है तो शैक्षिक प्रतिष्ठा वाले तीन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए कुलाधिपति द्वारा एक अन्य समिति का गठन किया जाएगा जो उपधारा (3) के अनुसार नामों को प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र उसके सदस्यों में रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता के कारण अथवा कार्यवाहियों में किसी व्यक्ति के भाग लेने के कारण, जिसका बाद में ऐसा करने का हकदार न होना पाया गया हो, अविधिमान्य नहीं हो जायेगी।

(7) (क) कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो;

(ख) कुलपति उस दिनांक जिस दिनांक को वह अपना पद धारित करता है अथवा जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो, से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(ग) कुलपति, जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, उस रूप में द्वितीय अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है :

परन्तु यह कि कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित एवं स्व हस्ताक्षर से लिखित रूप में अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है, और उसका त्याग-पत्र कुलाधिपति द्वारा स्वीकृत किये जाने पर वह पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा।

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यक्षीन, कुलपति की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जैसा कि परिनियमावली द्वारा अवधारित किया जाए।

(9) कुलपति धारा 32 के अधीन गठित किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि के लाभ का हकदार नहीं होगा :

परन्तु यह कि जब किसी विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध अथवा मान्यताप्राप्त महाविद्यालय के किसी अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी को कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे भविष्य निधि में अंशदान करते रहने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें वह अभिदायकर्ता हो और विश्वविद्यालय का अंशदान उस तक सीमित रहेगा जिसके लिए वह कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के तत्काल पूर्व अंशदान करता आ रहा था।

(10) निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में, (जिनके विद्यमान होने के सम्बन्ध में कुलाधिपति एकमात्र निर्णायक होगा) कुलाधिपति छः महीने से अनधिक अवधि के लिए कुलपति के पद पर किसी ऐसे उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है, जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करे-

(क) जहां कुलपति के पद में कोई रिक्ति, अवकाश के कारण या अन्य किसी कारण से, जी त्याग-पत्र अथवा कार्यकाल की समाप्ति न हो, उत्पन्न होती है अथवा उत्पन्न होना सम्भाव्य हो, वहाँ तत्सम्बन्धी रिपोर्ट, कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को अविलम्ब दी जाएगी;

(ख) जहां कुलपति के पद में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है और उसे उपधारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधाजनक ढंग से और शीघ्र ही न भरा जा सकता हो;

(ग) कोई अन्य आपातस्थिति :

परन्तु यह कि कुलाधिपति, समय-समय पर, इस उपधारा के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की कार्यावधि को विस्तारित कर सकता है, तथापि मूल आदेश में निहित कार्यावधि सहित ऐसी नियुक्ति की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक न हो।

(11) जब तक उपधारा (1) या उपधारा (5) या उपधारा (10) के अधीन नियुक्त कुलपति पद को धारित करता है, प्रतिकुलपति, यदि कोई हो, अथवा जहाँ कोई प्रतिकुलपति न हो तो उस विश्वविद्यालय का वरिष्ठतम प्राध्यापक अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय की दशा में सम्बद्ध महाविद्यालय का वरिष्ठतम प्राचार्य कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(12) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबन्धों का जानबूझकर कार्यान्वयन करने से लोप करता है अथवा उसे अस्वीकृत करता है अथवा अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, अथवा यदि कुलाधिपति को यह अन्यथा लगता है कि कुलपति के लिए पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल हैं तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उपयुक्त समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकता है।

(13) उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी जांच के लम्बित रहने के दौरान अथवा उसका अनुध्यात करते हुए कुलाधिपति यह आदेशित कर सकता है कि अग्रेतर आदेशों के होने तक-

(क) उक्त कुलपति, कुलपति के पद के कार्यों का संपादन करने में विरत रहेगा, किन्तु वह वेतन तथा विश्वविद्यालयीय आवास की सुविधा प्राप्त करता रहेगा।

(ख) कुलपति के पद के कार्यों का, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निष्पादन किया जाएगा।

12-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और

(क) विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध एवं मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों द्वारा अनुरक्षित संघटक महाविद्यालयों और संस्थानों सहित विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा;

कुलपति की
शक्तियाँ और
कृत्य

वह-

(घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ङ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को आयोजित करने एवं उन्हें समुचित ढंग से और निश्चित समय पर संचालित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उन परीक्षाओं के परिणामों को शीघ्र ही प्रकाशित किया जाये और यह कि विश्वविद्यालय का शैक्षिक सत्र समुचित तिथियों पर प्रारम्भ हो तथा समाप्त हो।

(2) वह, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(3) उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण, अथवा निकाय की बैठक में बोलने और अन्य प्रकार से उसमें भाग लेने का अधिकार प्राप्त होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमावली और विनियमावली के उपबन्धों का सत्यनिष्ठा से पालन करे और वह (धारा 10 और 68 के अधीन) कुलाधिपति की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन सभी शक्तियों को धारित करेगा जो उस निमित्त आवश्यक हों।

(5) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति की बैठकों को आयोजित करने अथवा उन्हें आयोजित कराने की शक्ति प्राप्त होगी :

परन्तु यह कि वह अपनी इस शक्ति को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।

(6) जहां (विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति को छोड़कर) कोई मामला, अत्यावश्यक प्रकृति का हो जिसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो और उसे विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य किसी निकाय द्वारा तत्काल संव्यवहृत नहीं किया जा सकता था, जो इस अधिनियम द्वारा अथवा तद्दीन संव्यवहृत करने के लिए सशक्त था, वहां कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे और वह अपने द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अविलम्ब कुलाधिपति को और साथ ही साथ उस अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को देगा जिसने सामान्य अनुक्रम में उस मामले को संव्यवहृत किया होता :

परन्तु यह कि कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के बिना कुलपति द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, यदि इसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों में कोई विचलन अन्तर्वलित हो:

परन्तु अग्रेतर यह कि यदि उन अधिकारियों, प्राधिकरण या अन्य निकाय की यह राय हो कि उस कार्रवाई को नहीं किया जाना चाहिए था, तो वह मामला कुलाधिपति के समक्ष निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकेगा अथवा उसे रद्द कर सकेगा या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह उपयुक्त समझे और तत्पश्चात् उसका प्रभावी होना बन्द हो जायेगा अथवा जैसा विषय हो, उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा किन्तु ऐसे निष्प्रभावी होने या उपान्तरित होने का कुलपति द्वारा अथवा उसके आदेश के अधीन पूर्वतर की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परन्तु यह भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में कोई व्यक्ति, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से क्षुब्ध हो, को उस कार्यवाही के विरुद्ध कार्य परिषद् के समक्ष उस दिनांक से तीन महीने के भीतर अपील करने का अधिकार प्राप्त होगा जिस दिनांक को उस कार्रवाई पर विनिश्चय की सूचना उसे दी जाती है और उसके पश्चात् कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकेगी, उसे उपान्तरित कर सकेगी या उसे अभिशून्य करार दे सकेगी।

(7) उपधारा (6) में कही गयी किसी बात से कुलपति को ऐसे किसी व्यय को उपगत करने हेतु सशक्त नहीं समझा जाएगा जिसे करने के लिए वह सम्यक रूप से प्राधिकृत न हो और जिसका बजट में उपबन्धन किया गया हो।

(8) जहां उपधारा (6) के अधीन कुलपति द्वारा शक्ति के प्रयोग में अधिकारी की नियुक्ति अन्तर्वलित हो वहां ऐसी नियुक्ति, निर्धारित रीति से किये जाने पर अथवा कुलपति के आदेश के दिनांक से छः माह की अवधि के समाप्त होने पर जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।

(9) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

प्रतिकुलपति

13-(1) विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम प्राध्यापक को कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा प्रतिकुलपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु यह कि यदि वरिष्ठतम प्राध्यापक के विरुद्ध कोई जाच लंबित हो या उसे किसी वित्तीय, प्रशासनिक या नैतिक कदाचार के लिए दंडित किया गया हो, तो अगले वरिष्ठतम प्राध्यापक को प्रतिकुलपति के पद के लिए विचार किया जायेगा जिसके पास ऐसी कोई अक्षमता न हो।

(2) प्रतिकुलपति ऐसे मामलों के संबंध में कुलपति की सहायता करेगा, जैसा कि समय-समय पर कुलपति द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए और कुलपति की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करेगा। वह प्रतिकुलपति के पद के लिए प्राध्यापक के रूप में अपनी पात्रता के अलावा किसी अन्य परिलब्धियों के लिए हकदार नहीं होगा।

(3) प्रतिकुलपति के पास ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या तद्दीन प्रदान की जाएँ।

कुलसचिव

14-(1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राज्य के वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारियों या कुलसचिव, उप कुलसचिव और सहायक कुलसचिव में से सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से बनायी गयी नियमावली द्वारा सृजित पृथक सेवा संवर्ग में से की जाएगी।

उसे उक्त के अनुसार नियुक्त किया जा सकेगा, और उसकी सेवा की शर्तें उक्त नियमावली द्वारा शासित हो सकेंगी।

(3) कुलसचिव को विश्वविद्यालय के अधीन अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति प्राप्त होगी।

(4) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुहर की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्य परिषद, विद्या परिषद, प्रवेश समिति का और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों हेतु नियुक्त प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह इन प्राधिकारियों के समक्ष उन सभी सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जिन्हें परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किया जा सकेगा जिसे कार्य परिषद या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(5) कुलसचिव को उपधारा (2) के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा यथा उपबन्धित को छोड़कर विश्वविद्यालय के किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा और न ही वह उसे स्वीकार करेगा।

(6) जब कुलसचिव किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो या कुलसचिव का पद रिक्त हो जाय तो उक्त पद के समस्त कर्तव्यों का निष्पादन तब तक कुलपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जब तक यथास्थिति कुलसचिव अपना पद धारण नहीं कर लेता है या रिक्ति नहीं भर ली जाती है।

15-(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा;

(2) वित्त अधिकारी कार्य परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमान) तथा लेखा विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों के आहरण एवं संवितरण के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(3) उसे कार्य परिषद् की कार्यवाही में बोलने और अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(4) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

(क) यह सुनिश्चित करना कि कोई व्यय, जो बजट में प्राधिकृत न हो विश्वविद्यालय द्वारा उपगत न किया जाय (निवेश से भिन्न माध्यम से);

(ख) ऐसे किसी प्रस्तावित व्यय को अस्वीकृत करना जिससे इस अधिनियम के उपबन्धों या किन्हीं परिनियमों या अध्यादेशों के निबन्धनों का अतिक्रमण होता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की गई हो और लेखा परीक्षा के दौरान इंगित की गई किसी भी अनियमितता को ठीक करने के लिए कदम उठाना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की संपत्ति और निवेश विधिवत संरक्षित और प्रबंधित है;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित कराया जाय और वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सभी सुधारात्मक उपाय और कार्रवाई करेगा, जैसा कि ऐसी लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा अपेक्षित हो।

(5) वित्त अधिकारी को विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों तक पहुँच प्राप्त होगी और उनके प्रस्तुत किये जाने तथा तत्सम्बंधी कार्यकलापों से सम्बंधित ऐसी सूचना प्रदान करने की वह अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में, उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(6) सभी संविदाओं को वित्त अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की ओर से किया जायेगा और उसके द्वारा उन पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियाँ और कार्य वही होंगे जैसा कि निर्धारित किया जाय।

16-(1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

परीक्षा नियंत्रक

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह उन सभी सूचनाओं को उस समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जो उसके कामकाज को करने के लिए आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी संपादन करेगा जो कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षित परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायेंगे, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय या संस्थान से ऐसी विवरणी प्रस्तुत किये जाने अथवा ऐसी सूचना प्रदान करने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने लिए आवश्यक हों।

(4) परीक्षा नियंत्रक का अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अध्यक्षीन परीक्षा नियंत्रक को परीक्षाओं को संचालित करना होगा और तदनिमित्त अन्य सभी प्रबन्ध करना होगा तथा वह तत्सम्बंधी सभी प्रक्रियाओं का सम्यक निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के सिवाय विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य के लिए अन्य किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

(7) जब परीक्षा नियंत्रक किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो, तो उस पद के सभी कर्तव्यों का निष्पादन कुलपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा यथास्थिति तब तक किया जायेगा जब तक कि परीक्षा नियंत्रक अपना कार्यभार ग्रहण न कर ले अथवा रिक्ति न भर दी जाये।

17-कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, वित्त अधिकारी, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक को छोड़कर विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियाँ वही होंगी जैसा कि परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट की जाएँ।

अध्याय-पाँच

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

18- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे:-

(क) कार्य परिषद;

(ख) विद्या परिषद;

(ग) वित्त समिति;

(घ) संकाय;

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकरण जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के रूप में घोषित किया जाय।

19-(1) कार्य परिषद में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

(क) कुलपति, जो उसके अध्यक्ष होंगे;

(ख) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;

(ग) विहित रीति से चक्रानुक्रम में दो संकायों के संकायाध्यक्ष;

(घ) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के आचार्यों या सह आचार्यों में से एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के आचार्यों या सह आचार्यों में से एक सदस्य;

(ङ) संगीत, कला और संस्कृति के क्षेत्र में से प्रत्येक से लब्ध प्रतिष्ठित तीन व्यक्ति कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(च) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(छ) राज्य सरकार का यथा स्थिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव संस्कृति, या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी, जो विशेष सचिव के पद से नीचे का न हो;

(ज) राज्य सरकार का यथा स्थिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, उच्च शिक्षा या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी, जो विशेष सचिव के पद से नीचे का न हो;

(झ) राज्य सरकार का यथास्थिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, वित्त या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी जो विशेष सचिव के पद से नीचे का न हो;

अन्य अधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

कार्य परिषद का गठन

(2) सदस्यों के पद की अवधि का उल्लेख निम्नलिखित में किया गया है :-

(एक) उपधारा (1) का खण्ड (ग) व (घ) एक वर्ष का होगा।

(दो) उपधारा (1) का खंड (ङ) या खंड (च) तीन वर्ष का होगा।

(3) कोई व्यक्ति लगातार दो से अधिक कार्यकाल के लिए कार्य परिषद का सदस्य नहीं होगा।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को कार्य परिषद के सदस्य के रूप में तब तक नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि वह संगीत, कला और संस्कृति के क्षेत्र से स्नातक या प्रतिष्ठित व्यक्ति न हो।

(5) कोई व्यक्ति कार्य परिषद का सदस्य चुने जाने और उसका सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, यदि वह या उसका नातेदार विश्वविद्यालय में या उसके किसी कार्य हेतु या महाविद्यालय के लिए माल प्रदाय करने अथवा कोई कार्य निष्पादित करने के लिए, किसी संविदा के हेतु पारिश्रमिक स्वीकार कर लेता है:

परन्तु यह कि इस उपधारा में कही गयी कोई बात किसी अध्यापक द्वारा उस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा के संबंध में सम्पादित किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा प्रशिक्षण इकाई के या छात्रावास के अधीक्षक अथवा वार्डन के रूप में अथवा विश्वविद्यालय के संबंध में इसी प्रकृति के किन्हीं कर्तव्यों हेतु कोई पारिश्रमिक स्वीकार किये जाने के लिए लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-पद 'नातेदार' का वही अर्थ होगा जो कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) की धारा 2 के खण्ड (77) में परिभाषित है।

20-(1) कार्यपरिषद विश्वविद्यालय की प्रमुख कार्यकारी निकाय होगी और उसके पास इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी अर्थात् :-

(एक) विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों को धारित एवं नियंत्रित करना;

(दो) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम अथवा स्थावर संपत्ति को अर्जित अथवा अन्तरित करना;

(तीन) परिनियमों एवं अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना अथवा उन्हें निरसित करना;

(चार) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध निधियों का प्रशासन करना;

(पाँच) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;

(छः) परिनियमों एवं अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्ति, अधिछात्रवृत्तियाँ, निर्धन छात्रवृत्तियाँ, पदक और अन्य पारितोषिक प्रदान करना;

(सात) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों, सेवा की शर्तों को परिभाषित करना एवं उनके पदों में अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उपबन्ध करना;

(आठ) परीक्षकों के शुल्कों, परिलब्धियों और यात्रा तथा अन्य भत्तों को नियत करना;

(नौ) किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता के सम्बंध में विशेषाधिकार प्रदान करना अथवा पहले से सम्बद्ध/मान्यताप्राप्त किसी महाविद्यालय को विशेषाधिकार प्रदान करना अथवा ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना;

(दस) संस्थानों, सम्बद्ध मान्यताप्राप्त संघटक महाविद्यालयों, छात्र निवासों, छात्रावासों और विद्यार्थियों के निवास के अन्य स्थानों का प्रबन्ध करना और उनके निरीक्षण की व्यवस्था करना;

कार्य परिषद की शक्तियाँ और कृत्य

(ग्यारह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के निर्माण एवं प्रयोग का निर्देश देना; (बारह) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारियों के मध्य अनुशासन विनियमित करना तथा लागू करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था, लेखाओं, विनियोगों, संपत्ति, कामकाज और उसके अन्य सभी प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबन्ध करना तथा उन्हें विनियमित करना और उक्त प्रयोजनार्थ उन अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना जो वह उपयुक्त समझे;

(बीस) राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के किसी धन (जिसमें न्यास और विन्यासित सम्पत्ति से प्राप्त आय सम्मिलित है) का निवेश करना और अचल सम्पत्ति क्रय करना;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और अन्य संसाधनों की व्यवस्था करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाओं को करना, उनमें परिवर्तन कार्यान्वित करना और उन्हें रद्द करना;

(सत्रह) परिनियमों के अनुसार प्रवेश और परीक्षाओं के लिए समितियाँ नियुक्त करना;

(अठारह) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय के साथ ही साथ संस्थाओं, संघटक, सम्बद्ध और मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों से सम्बन्धित अन्य सभी मामलों को विनियमित तथा अवधारित करना।

(2) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, कार्य परिषद् बंधक, विक्रय, विनियम, दान अथवा अन्य प्रकार से विश्वविद्यालय के किसी स्थावर सम्पत्ति को प्रबन्ध के साधारण अनुक्रम में प्रत्येक माह किराये पर देने के सिवाय न तो अन्तरित करेगी और न ही सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय हेतु कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(3) ऐसा कोई व्यय जिसके संबंध में राज्य सरकार का अनुमोदन इस अधिनियम या परिनियमावली या विनियमावली द्वारा अपेक्षित हो, पूर्व में प्राप्त किये गये उक्त अनुमोदन के सिवाय उपगत नहीं किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय में या उसके द्वारा पोषित किसी संस्था या महाविद्यालय में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय अथवा राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से कोई पद सृजित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह कि स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के मामले में राज्य सरकार से इस तरह के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

(4) कार्य परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के अध्यापक के अधिसंख्य पद का उस अध्यापक को, जो तत्समय भारत में या विदेश में शिक्षा सम्बंधी प्रशासन या अन्य किसी प्रकार के समनुदेशनों में राष्ट्रीय महत्व के उत्तरदायित्वपूर्ण पद को धारित कर रहा है, अपने धारणाधिकार को तथा अध्यापक के रूप में वरिष्ठता को प्रतिधारित करने और अपने समनुदेशन की अवधि के दौरान अपने वेतनमानों में वृद्धि को उपार्जित करते रहने एवं परिनियमों के अनुसार भविष्य निधि के लिए अंशदान करने एवं सेवानिवृत्ति के लाभों, यदि कोई हो, को उपार्जित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त पद का सृजन कर सकेगी:

परन्तु यह कि उस अध्यापक के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उस समनुदेशन की अवधि के लिए कोई वेतन संदेय नहीं होगा।

(5) विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वेतन एवं अन्य भत्ते वही होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय।

(6) कार्य परिषद वित्त समिति द्वारा निर्धारित किये गये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपगत किये जाने वाले आवर्ती और अनावर्ती व्ययों की सीमा को पार नहीं करेगी।

(7) विद्या परिषद तथा सम्बंधित संकायों के परिषदों की सलाह पर विचार करने के पश्चात कार्य परिषद अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं और परिलब्धियों तथा परीक्षकों को संदेय शुल्क के सम्बंध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(8) कार्य परिषद, परिनियमों में निर्दिष्ट किन्हीं शर्तों के अध्यक्षीन, अपनी ऐसी शक्तियों को, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को अथवा उसके द्वारा नियुक्त समिति को प्रत्यायोजित कर सकती है।

21-(1) आपातकालीन बैठक को छोड़कर कार्य परिषद तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी, और ऐसी बैठक के सम्बंध में सदस्यों को न्यूनतम पंद्रह दिन पूर्व सूचना दी जाएगी।

कार्य परिषद की बैठक

(2) कार्य परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(3) कार्य परिषद की बैठक में बहुमत से निर्णय लिया जाएगा।

22-(1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और इस अध्यादेश, परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यक्षीन -

विद्या परिषद

(क) विश्वविद्यालय में चलाये जाने वाले या दिये जाने वाले अनुदेश, शिक्षण और शोध के मानकों को बनाये रखने के लिए नियंत्रण रखेगी और उनका सामान्य विनियमन करेगी और उसके लिए उत्तरदायी होगी;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं से संबंधित प्रकरणों सहित सभी शैक्षणिक प्रकरणों पर कार्य परिषद को सलाह दे सकेगी; तथा

(ग) उसके पास ऐसी शक्तियां और कर्तव्य होंगे जैसाकि उसे परिनियमावली द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किया जाय परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किया जा सकेगा।

(2) इस अधिनियम या परिनियमों के उपबंधों के अधीन, विद्या परिषद में निम्नलिखित अतिरिक्त शक्तियां भी होंगी, अर्थात्:-

(एक) कार्य परिषद द्वारा सौंपे गए किसी मामले पर रिपोर्ट उपलब्ध कराना;

(दो) विश्वविद्यालय में शैक्षिक पदों का सृजन, उन्मूलन या वर्गीकरण और उनसे जुड़ी अर्हताओं, परिलब्धियों और कर्तव्यों के संबंध में कार्य परिषद को संस्तुति देना;

(तीन) संकायों के संगठन के लिए योजनाओं को तैयार करना और संशोधित करना या और ऐसे संकायों को उनके संबंधित विषयों को सौंपना और कार्य परिषद को किसी संकाय के उन्मूलन या उप-विभाजन या एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ संयोजन की आवश्यकता के सम्बंध में कार्य परिषद को रिपोर्ट देना;

(चार) विनियमों के माध्यम से विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों हेतु अनुदेश और परीक्षा की व्यवस्था करना;

(पांच) विश्वविद्यालय में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और समय-समय पर ऐसे शोधों पर रिपोर्ट उपलब्ध कराना;

(छः) संकाय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों की उपाधियों, डिप्लोमा को मान्यता देना और विश्वविद्यालय के डिप्लोमा और डिग्री के संबंध में उनकी समकक्षता निर्धारित करना;

(आठ) कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अधीन, फेलोशिप, छात्रवृत्ति और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतियोगिताओं का समय, तरीका और शर्तें तय करना और उन्हें प्रदान करना;

(नौ) परीक्षकों की नियुक्ति, और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें हटाने हेतु और उनकी फीस, परिलब्धियां और यात्रा और अन्य व्ययों के निर्धारण के संबंध में कार्य परिषद को संस्तुति करना;

(दस) परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था के लिए कार्य परिषद को सिफारिश करना और उन्हें आयोजित करने की तारीखें तय करना;

(ग्यारह) विभिन्न परीक्षाओं का परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिए समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और उपाधियां, सम्मान, डिप्लोमा, अनुज्ञप्ति, उपाधियां और सम्मान चिह्न प्रदान करने के संबंध में संस्तुति करना;

(बारह) पुरस्कारों से जुड़े हुए विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार वृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करना;

(तेरह) निर्धारित या अनुशंसित पाठ्य पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रम को प्रकाशित करना;

(चौदह) अधिनियम के उपबंधों, अध्यादेशों के अनुसार समय-समय पर ऐसे प्रपत्र और रजिस्टर तैयार करना और शैक्षणिक प्रकरणों के सम्बंध में, ऐसे सभी कर्तव्यों, कार्यों का निष्पादन करना तथा पालन करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो।

(3) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:

(एक) कुलपति;

(दो) सभी संकायों, यदि कोई हों के संकायाध्यक्ष;

(तीन) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष और जहां विश्वविद्यालय में किसी विषय में कोई विभाग न हो, वहां संबंधित संकाय में उस विषय का प्रतिनिधित्व करने वाले संबद्ध महाविद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक;

(चार) विश्वविद्यालय के समस्त आचार्य, जो विभागाध्यक्ष न हों;

(पांच) संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्य और संस्थानों के निदेशक, यदि कोई हो;

(छः) प्रत्येक संघटक महाविद्यालय, यदि कोई हो, से वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा दो आचार्यों को निर्धारित रीति से अवधारित किया जाएगा;

(सात) सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों (यदि कोई हों) के एक प्राचार्य का चयन निर्धारित रीति से चक्रानुक्रम द्वारा किया जायेगा;

(आठ) तीन अध्यापकों को निर्धारित रीति से चुना जायेगा;

(नौ) छात्रों के कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(दस) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष; तथा

(ग्यारह) कला, संगीत और संस्कृति के क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित तीन व्यक्ति, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा;

परन्तु यह कि यदि इस उपधारा के अधीन गठित विद्या परिषद में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का कोई सदस्य न हो तो कुलपति विश्वविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य और अन्य पिछड़े वर्गों से एक सदस्य को नाम निर्दिष्ट कर सकता है।

(4) धारा 61 के उपबंधों के अधीन पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(5) जब तक शैक्षिक महत्व वाले प्रस्ताव की विद्या परिषद द्वारा संस्तुति नहीं की जाती है, तब तक कार्य परिषद उस पर निर्णय नहीं लेगी और यदि कार्य परिषद विद्या परिषद की संस्तुतियों से असहमत है, तो वह असहमति के कारणों सहित प्रस्ताव को वापस विद्या परिषद को संदर्भित करेगी और कार्य परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

23-(1) विद्या परिषद आपात बैठक को छोड़कर माह में कम से कम एक बार, बैठक करेगी और ऐसी बैठक हेतु सदस्यों को अन्यून पंद्रह दिन पूर्व सूचना दी जाएगी।

विद्या परिषद की बैठक

(2) विद्या परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(3) विद्या परिषद की बैठक में बहुमत से निर्णय लिया जायेगा।

24-(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे:-

वित्त समिति

(क) कुलपति;

(ख) राज्य सरकार का यथास्थिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव संस्कृति ;

(ग) राज्य सरकार का यथास्थिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव वित्त;

(घ) प्रतिकुलपति; यदि कोई हो;

(ङ) कुलसचिव;

(च) परीक्षा नियंत्रक;

(छ) कार्य परिषद से एक सदस्य जिसे कार्य परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा;

(ज) वित्त अधिकारी या वित्त नियंत्रक (जो भी वरिष्ठ हो) जो समिति का सचिव भी होगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सदस्य स्वयं वित्त समिति की किसी बैठक में भाग लेने के बजाय, अपने स्थान पर किसी अधिकारी को जो विशेष सचिव के स्तर का हो, नाम-निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसे अधिकारी को भी मत देने का अधिकार होगा।

(3) वित्त समिति विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों के प्रशासन से संबंधित मामलों पर कार्यपरिषद को सलाह देगी। यह विश्वविद्यालय की आय और स्रोतों को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय की कुल सीमा निर्धारित करेगी और किन्हीं विशेष कारणों से वह इस प्रकार नियत किये गये व्यय की सीमाओं को उस वित्तीय वर्ष के दौरान पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत की गयी सीमाएं कार्य परिषद के लिए बाध्यकारी होंगी।

(4) वित्त समिति के पास ऐसी अन्य शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या अधिरोपित किया जाय।

(5) जब तक वित्त समिति द्वारा वित्तीय प्रकृति वाले प्रस्ताव की संस्तुति न की जाय तब तक कार्य परिषद उस पर निर्णय नहीं लेगी और यदि कार्य परिषद वित्त समिति की संस्तुति से असहमत हो तो वह असहमति के कारणों सहित प्रस्ताव को वापस वित्त समिति को संदर्भित करेगी और कार्य परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

25-(1) वित्त समिति की बैठक, आपातकालीन बैठक को छोड़कर, तीन महीने में कम से कम एक बार होगी, और ऐसी बैठक हेतु सदस्यों को अन्यून 15 दिन पूर्व सूचना दी जायेगी।

वित्त समिति की बैठक

(2) वित्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से उसकी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(3) वित्त समिति की बैठक में बहुमत से निर्णय लिया जाएगा।

26-इस अधिनियम द्वारा उपबंधित किसी बात के होते हुए भी, वित्त समिति की बैठक, धारा 24 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) में यथा उपबंधित वित्त समिति के सदस्यों की अनुपस्थिति में नहीं होगी।

वित्त समिति की बैठक का प्रतिबंध

संकाय

27-(1) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे जैसा कि निर्धारित किया जाय।

(2) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग सम्मिलित होंगे जो निर्धारित किए जाएं और प्रत्येक विभाग में अध्ययन के ऐसे विषय होंगे जिन्हें अधिनियम द्वारा समनुदेशित किया जाय।

(3) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो वरिष्ठता के क्रम से चक्रानुक्रम द्वारा चुना जाएगा और तीन वर्ष के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु यह भी कि यदि संकाय में कोई आचार्य न हो तो संकायाध्यक्ष का पद सह आचार्य द्वारा धारित किया जायेगा और यदि कोई सह आचार्य न हो तो उस संकाय में अन्य अध्यापकों द्वारा वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा धारित किया जाएगा।

(4) संकायाध्यक्ष संकाय का अध्यक्ष होगा और निम्न के लिए जिम्मेदार होगा:-

(क) संकाय में सम्मिलित किये गये विभागों के अध्यापन और अनुसंधान कार्य का संगठन और संचालन; तथा

(ख) संकाय से संबंधित परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् अनुपालन।

(5) विश्वविद्यालय के अध्यापन के प्रत्येक विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित होगी :

परन्तु यह कि इस उपधारा के प्रारम्भ होने के दिनांक से ठीक पहले इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन पूर्व विभागाध्यक्ष का पद धारित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पद को उन्हीं निबन्धनों एवं शर्तों पर धारित करता रहेगा जिसे उसने उक्त दिनांक से ठीक पहले धारित किया था।

(6) विभागाध्यक्ष, विभाग में अध्यापन कार्य को संगठित करने के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसके पास ऐसी अन्य शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे जो अध्यादेशों में उपबंधित हों।

(7) अध्ययन के विभिन्न विषयों के संबंध में अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार अध्ययन परिषद का गठन किया जायेगा और अध्ययन परिषद को एक से अधिक विषय समनुदेशित किये जा सकेंगे।

अन्य प्राधिकारी

28- विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की संवैधानिक शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं।

अध्याय-छः

अध्यापकों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें

अध्यापकों की नियुक्ति

29-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन :-

(क) विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य और अन्य सभी अध्यापन कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से गठित चयन समिति की संस्तुति पर की जाएगी।

(ख) सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य और अन्य सभी अध्यापन कर्मचारिवर्ग (राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुरक्षित महाविद्यालय के अतिरिक्त) को सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र द्वारा परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से गठित चयन समिति की संस्तुति पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

(ग) किसी संस्थान के निदेशक या संघटक महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा एक चयन समिति की संस्तुति पर परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से की जाएगी।



(घ) किसी सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति किसी चयन समिति की संस्तुति पर परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से उपबंधित की जाएगी।

(ङ) पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति वही होगी जो आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य की होती है।

(2) सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, किसी संस्थान के निदेशक, संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य और अन्य सभी शैक्षणिक कर्मचारियों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा शर्तें परिनियमों के अनुसार इस धारा की उपधारा (1) के अधीन होंगी।

30-इस अधिनियम के उपबंध के अधीन, धारा (29) की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सभी अध्यापन कर्मचारिवर्ग को इस तरह से पदोन्नत किया जाएगा और उनकी सेवा अवधि और अर्हताएं वहीं होंगी जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाय।

31-(1) परिनियमों द्वारा यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय के किसी वैतनिक अधिकारी या अध्यापक की नियुक्ति, लिखित संविदा के सिवाय नहीं की जायेगी जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों से सुसंगत होंगी।

(2) मूल संविदा कुलसचिव के पास जमा कराया जाएगा और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या अध्यापक को दी जाएगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व नियोजित किसी अधिकारी या अध्यापक की दशा में, उसके प्रारम्भ होने से तत्काल पूर्व प्रवृत्त समस्त संविदाओं का, इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों से असंगत होने की सीमा तक उक्त उपबंधों द्वारा संशोधित किया गया समझा जायेगा।

32-विश्वविद्यालय और प्रत्येक सम्बद्ध अथवा मान्यताप्राप्त महाविद्यालय, अपने अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्गत किये जायें, ऐसे पेंशन, बीमा या भविष्य निधि का गठन करेगा जिसे वह ऐसी निधि को सम्मिलित करते हुए उपयुक्त समझे जिससे उन अध्यापकों का या जैसा विषय हो, उनके वारिसों को उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षाओं के संचालन सम्बन्धी उपबंध) अधिनियम, 1965 में यथा परिभाषित केन्द्र के अधीक्षक या निरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में निर्योग्यता, उपहति अथवा मृत्यु उपगत करने की दशा में पेंशन अथवा ग्रेच्युटी प्रदान की जायेगी।

33-(1) विश्वविद्यालय के अथवा सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालय के अध्यापकों को भारतीय विश्वविद्यालय अथवा लोक सेवा आयोग को छोड़कर अन्य निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के संबंध में सम्पादित किन्हीं कर्तव्यों के लिये पारिश्रमिक संदाय से सम्बंधित शर्तें वहीं होंगी जो विहित की जायें।

(2) विश्वविद्यालय का अथवा सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक किसी समय, किसी परीक्षा से सम्बद्ध अध्यापन या कर्तव्यों को छोड़कर अन्य कर्तव्यों को करने के लिए एक से अधिक पारिश्रमिक वाले पद को धारित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण- शब्द 'पारिश्रमिक' में छात्र-निवास या छात्रावास के वार्डन या अधीक्षक या प्रॉक्टर, खेल अधीक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष के पद और राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन, समाज सेवा योजना और विश्वविद्यालय रोजगार कार्यालय में कोई भी पद सम्मिलित होगा।

34-(1) धारा 31 या धारा 32 में निर्दिष्ट नियुक्ति की संविदा से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद को माध्यस्थम के अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए वैयक्तिक पदोन्नति विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की संविदा

पेंशन, भविष्य निधि आदि

अध्यापकों के लिये अनुपेय अतिरिक्त पारिश्रमिक कार्य की सीमाएं

माध्यस्थम का अधिकरण



(2) अधिकरण का निर्णय अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा और उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

(3) माध्यस्थम अधिकरण के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी :-

(एक) अपनी रचयं की प्रक्रिया को विनियमित करना;

(दो) संबंधित अधिकारी या अध्यापक की बहाली का आदेश देना; तथा

(तीन) संबंधित अधिकारी या अध्यापक को वेतन, उस आय को कम करने के पश्चात् प्रदान करना, जिसे उस अधिकारी अथवा अध्यापक ने अन्यथा सेवा से अपने निलम्बन, अपसारण, बर्खास्तगी अथवा सेवा समाप्ति के दौरान प्राप्त किया होता।

(4) माध्यस्थम से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में निहित कोई बात, इस धारा के अधीन माध्यस्थम के लिए लागू नहीं होगी।

(5) ऐसे किसी मामले के संबंध में जिसका माध्यस्थम अधिकरण के समक्ष उपधारा (1) द्वारा निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित हो, किसी न्यायालय में कोई वाद अथवा कार्यवाही दाखिल नहीं की जा सकेगी:

परन्तु यह कि उपधारा (2) में माध्यस्थम अधिकरण का प्रत्येक निर्णय प्रादेशिक क्षेत्राधिकार रखने वाले निम्नतम न्यायालय द्वारा उसी प्रकार से निष्पादित किया जायेगा, मानो वह उस न्यायालय की डिक्री हो।

अध्याय-सात

सम्बद्धता और मान्यता

महाविद्यालयों की सम्बद्धता और उसकी वापसी

35-(1) कार्य परिषद, कुलाधिपति की पूर्व अनुमति से, किसी महाविद्यालय को जो सम्बद्धता की उन शर्तों की पूर्ति करता है जिन्हें विहित किया जाये, सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को विस्तारित कर सकेगी अथवा उपधारा (8) के उपबंधों के अधीन ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसे कम कर सकेगी:

परन्तु यह कि यदि कुलाधिपति की राय में कोई महाविद्यालय सारवान् रूप से शर्तों को पूरा करता है, तो कुलाधिपति उस महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति दे सकेगा अथवा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में किसी अवधि के लिए विनिर्दिष्ट विषयों में उसके विशेषाधिकारों को विस्तारित कर सकेगा जिन्हें वह उपयुक्त समझे:

परन्तु अग्रेतर यह भी कि जब तक सम्बद्धता की सभी निर्धारित शर्तों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया जाय, तब तक वह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी छात्र को प्रवेश नहीं देगा जिसके लिए उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

(2) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसी स्थानीय क्षेत्र में अवस्थित किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय के साथ अथवा विश्वविद्यालय के साथ अध्यापन अथवा अनुसंधान कार्य में सहयोग करने के लिए प्रबन्ध करे।

(3) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बद्ध महाविद्यालय की प्रबंध समिति, महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध करेगी और उनका नियंत्रण करने के लिए स्वतंत्र होगी और उसके अनुरक्षण एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगी एवं उसका प्राचार्य उसके छात्रों के अनुशासन के लिए और उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण एवं नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(4) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय ऐसी रिपोर्टों, विवरणियों और अन्य विशिष्टियों को प्रदान करेगा जिन्हें कार्य परिषद या कुलपति मांगे।

(5) कार्य परिषद प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा 05 वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद को दी जायेगी।



(6) कार्य परिषद इस प्रकार निरीक्षण किए गए सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश कर सकेगी जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाये, आवश्यक लगे।

(7) ऐसे किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार, जो उपधारा (6) के अधीन कार्य परिषद के किसी निर्देश का पालन करने में विफल हो जाता है या सम्बद्धता की शर्तों का पालन नहीं कर पाता है, उस महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात और कुलाधिपति के पूर्व स्वीकृति से, कार्य परिषद द्वारा परिनियमों के उपबंधों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या उसमें कमी की जा सकेगी।

(8) उपधारा (1) और (7) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि सम्बद्ध महाविद्यालय की प्रबंध समिति, सम्बद्धता की शर्तों का पालन करने में विफल हो तो कुलाधिपति प्रबन्ध समिति अथवा कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात, सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को वापस ले सकेगी अथवा उनमें कमी कर सकेगी।

(9) कोई भी संस्थान, जिसका आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा खारिज कर दिया गया हो, अस्वीकृति के आदेश की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है, जो या तो अपील को अनुमति दे सकती हैं या इसे अस्वीकृत कर सकती हैं। राज्य सरकार को उन मामलों में भी महाविद्यालय के आवेदन पर पुनर्विचार करने का अधिकार होगा जहाँ महाविद्यालय द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में उसे शिकायतें प्राप्त हों।

36-(1) मान्यता प्राप्त महाविद्यालय ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा नामित हों।

(2) किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के लिए अध्यापन कार्य में किसी अन्य मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से सहयोग लिया जाना विधिसम्मत होगा।

(3) किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की मान्यता की शर्तें परिनियमों द्वारा या कार्य परिषद द्वारा निर्धारित की जाएंगी, किन्तु कोई मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के बिना स्नातकोत्तर उपाधियों हेतु शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि कोई मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अनुदेश प्रदान करने की मान्यता प्रदान करने हेतु प्राधिकृत न हो तो ऐसे महाविद्यालय को कुलाधिपति के अनुमोदन से धारा 35 में, निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय द्वारा धारा 5 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सम्बद्धता प्रदान की जा सकेगी, तत्पश्चात उस महाविद्यालय का परास्नातक पाठ्यक्रम हेतु मान्यताप्राप्त महाविद्यालय होना बंद हो जायेगा।

(4) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय का प्रबंधतंत्र, महाविद्यालय के मामलों का प्रबंध करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र होगा एवं वह उसके अनुरक्षण तथा रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे प्रत्येक महाविद्यालय का प्राचार्य उसके छात्रों के अनुशासन के लिए और उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण एवं नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) कार्य परिषद प्रत्येक मान्यता प्राप्त महाविद्यालय का उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा तीन वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर निरीक्षण करवायेगा और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद को दी जायेगी।

(6) मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की मान्यता को कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से कार्य परिषद द्वारा वापस लिया जा सकेगा यदि उसका प्रबंध समिति द्वारा प्रदान किये गये किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो जाये कि उसकी मान्यता की शर्तों को पूरा करना बन्द हो गया है अथवा यह कि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन में अथवा कार्य परिषद द्वारा बताये गये अपने कार्य में किसी दोष को दूर करने में अभी भी व्यतिक्रम कारित कर रहा है।

महाविद्यालयों
की मान्यता
और मान्यता
वापस लेना

प्रबंध समिति
की सदस्यता के
लिए निरहता

37-कोई व्यक्ति किसी सम्बद्ध अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय (राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अपवर्जित रूप से पोषित महाविद्यालय को छोड़कर) के प्रबन्ध समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य बनने के लिए निरह होगा, यदि वह या उसका नातेदार इसके लिए कोई पारिश्रमिक उस महाविद्यालय के किसी कार्य के लिए या उस महाविद्यालय के लिए किसी पारिश्रमिक को अथवा उस महाविद्यालय को माल प्रदाय करने के लिए या किसी कार्य के निष्पादन के लिए किसी संविदा को स्वीकार कर लेता है:

परन्तु यह कि इस धारा में कही गयी कोई भी बात, उस रूप में अध्यापक द्वारा किसी पारिश्रमिक के स्वीकार किये जाने के लिए अथवा उस महाविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा के सम्बंध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिए अथवा उस महाविद्यालय के प्रशिक्षण इकाई के अथवा छात्र निवास या छात्रावास के अधीक्षक अथवा वार्डन के रूप में या प्राक्टर अथवा ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा उस महाविद्यालय के सम्बंध में किसी प्रकृति के किन्हीं कर्तव्यों के सम्बंध में किसी पारिश्रमिक को स्वीकार कर लेता है।

स्पष्टीकरण- पद 'नातेदार' का वही अर्थ होगा जो धारा 19 के स्पष्टीकरण में प्रदान किया गया है।

सम्बद्ध और
मान्यता प्राप्त
महाविद्यालयों
का निरीक्षण
आदि

38-(1) राज्य सरकार को किसी सम्बद्ध और मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, जिसमें, प्रयोगशालाएं तथा उसके उपकरण सम्मिलित हैं और उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं, अथवा किये गये अध्यापन एवं अन्य कार्य का भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह निदेशित करे, निरीक्षण कराने अथवा उस महाविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त के सम्बंध में किसी मामले के सम्बंध में जांच कराने का अधिकार प्राप्त होगा।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का निर्णय लेती है, तो वह उसके प्रबंध समिति को और प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त किये गये प्रतिनिधि को सूचित करेगी और जहां प्रबंध समिति किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने में विफल होती है, तो उस महाविद्यालय का प्राचार्य ऐसे निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित हो सकेगा और उसे प्रबन्ध समिति की ओर से सुने जाने का अधिकार प्राप्त होगा, किन्तु कोई विधि व्यवसायी उस निरीक्षण या जांच में महाविद्यालय की ओर से उपसंजात नहीं होगा, अभिवचन या कार्य नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को शपथ पर साक्ष्य लेने के और साक्षियों की उपस्थिति कराने एवं दस्तावेजों और तात्त्विक वस्तुओं को पेश करने के लिए विवश करने के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन वाद के विषय में विचार करते समय सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और उसका दण्ड प्रक्रिया, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 480 और 482 अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय होना समझा जायेगा और उसके अथवा उनके समक्ष भारतीय दंड संहिता 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1880) की धारा 193 और 225 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही का होना समझा जायेगा।

(4) राज्य सरकार प्रबंध समिति को उस निरीक्षण या जांच के परिणाम को संसूचित कर सकेगी और वह कार्यवाही किये जाने के बारे में निदेश जारी कर सकेगी एवं प्रबन्ध समिति उन निदेशों का तत्काल अनुपालन करेगी।

(5) राज्य सरकार कुलपति को उपधारा (4) के अधीन प्रबंध समिति को उसके द्वारा दी गयी किसी संसूचना के बारे में सूचित करेगी।

(6) राज्य सरकार किसी समय उस निरीक्षण या जांच के संबंध में सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति अथवा प्राचार्य से कोई सूचना मांग सकेगी।

39-(1) संघटक महाविद्यालय ऐसे महाविद्यालय होंगे जिन्हें परिनियमों द्वारा बनाया जायेगा।

संघटक
महाविद्यालय

(2) संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य महाविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा और उसका महाविद्यालय के लिपिक वर्गीय तथा अवर कर्मचारिवृन्द पर सामान्य नियंत्रण होगा। वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

40-(1) स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय ऐसे सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय को, जो उस निमित्त निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, निर्धारित रीति से उस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्ययन के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करने और इस प्रकार परिवर्तित किये गये पाठ्यक्रमों में परीक्षा आयोजित कराने के विशेषाधिकार प्रदान कर सकता है।

स्वायत्तशासी
महाविद्यालय

(2) ऐसी सीमा, जहां तक उस महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किया जाये और ऐसी रीति जिससे परीक्षा आयोजित की जाये, का अवधारण प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा।

(3) ऐसे महाविद्यालय को निर्धारित रीति से स्वायत्त महाविद्यालय के रूप में घोषित किया जायेगा।

41- विश्वविद्यालय किसी विषय में अध्ययन और अनुसंधान आयोजित तथा संचालित करने के लिए एक या एक से अधिक संस्थान स्थापित कर सकेगा।

संस्थान

42-सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति से सम्बद्ध कोई व्यक्ति, प्राचार्य, अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अध्यादेश में निर्दिष्ट दरों पर शुल्क के सिवाय, किसी छात्र या उसकी ओर से (उस महाविद्यालय में उसे प्रवेश प्रदान करने अथवा उस प्रवेश के पश्चात उसमें बने रहने की शर्त के रूप में) नकद या वस्तु के रूप में कोई अंशदान, दान, फीस या अन्य किसी प्रकार का संदाय नहीं लेगा, न प्राप्त करेगा।

महाविद्यालयों
में प्रवेश हेतु
किसी दान
आदि को लेने
पर प्रतिबन्ध

43-जहां सम्बद्ध अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय द्वारा नकद या वस्तु के रूप में कोई अंशदान अथवा दान लिया जाता है वहां इस प्रकार प्राप्त किये गये दान का प्रयोग केवल उस प्रयोजन के उपयोग में लाया जायेगा जिसके लिए उसे दिया गया था।

महाविद्यालय
को योगदान
और दान

44-(1) विश्वविद्यालय के छात्र निवास और छात्रावास वही होंगे-
(क) जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित और परिनियमों में नामित हो;
(ख) जिन्हें कार्य परिषद द्वारा अध्यादेशों के माध्यम से उपबन्धित सामान्य अथवा विशेष शर्तों पर मान्यता प्रदान की गयी हो।

विश्वविद्यालय
के छात्र निवास,
छात्रावास और
डेलीगैसी

(2) छात्र निवासों और छात्रावासों के वार्डन तथा अन्य कर्मचारिवृन्द अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(3) किसी संघटक महाविद्यालय द्वारा छात्र निवास की देखरेख में उसके अधीन निवास न करने वाले छात्रों के निवास, स्वास्थ्य एवं कल्याण के सम्बंध में प्रबन्धों का पर्यवेक्षण करने के लिए डेलीगैसी होगी, उस डेलीगैसी का गठन, शक्ति एवं कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

अध्याय-आठ

परिनियम, अध्यादेश, विनियम और वार्षिक रिपोर्ट

45-इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, परिनियम में विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले के लिए उपबंध किया जा सकेगा और विशेष रूप से निम्न के लिए उपबन्ध किया जायेगा:-

परिनियम

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, शक्ति तथा कर्तव्य;

(ख) प्रथम सदस्यों के पद में बने रहने, उनकी सदस्यता में रिक्तियों को भरने और इन प्राधिकरणों से संबंधित अन्य मामलों, जिसके लिए उपबन्ध करना आवश्यक हो, सहित विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यों के पद के चयन, नियुक्ति तथा कार्यकाल;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य;
 (घ) विश्वविद्यालय के और सम्बद्धता तथा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं अन्य अध्यापकों का वर्गीकरण एवं भर्ती (न्यूनतम योग्यता और अनुभव सहित) उनके द्वारा अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट को अनुरक्षित करना, उनके द्वारा पालन किए जाने वाले आचरण के नियमों और उनके परिलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तें (अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबंधों सहित);

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की भर्ती (न्यूनतम योग्यता और अनुभव सहित);

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन और उनके परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तें (अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबंधों सहित); बीमा-योजना का स्थापित किया जाना;

(छ) उपाधियों और डिप्लोमा का संस्थित किया जाना;

(ज) मानद उपाधियाँ प्रदान किया जाना;

(झ) उपाधियों और डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों और अन्य शैक्षणिक विशेषताओं को वापस लेना;

(ञ) संकायों की स्थापना, विलय, उन्मूलन और पुनर्गठन;

(ट) संकायों के अध्यापन के विभागों की स्थापना करना;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्र निवासों और छात्रावासों की स्थापना, उन्मूलन और पुनर्गठन;

(ड) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता या मान्यता प्रदान करने के विशेषाधिकार प्रदान किये जा सकेंगे और वे शर्तें जिनके अधीन ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस लिया जा सकेगा।

(ढ) किसी सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति की मान्यता;

(ण) महाविद्यालय अथवा सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के वैतनिक कर्मचारियों (जो अध्यापक न हों) की सेवानिवृत्तिक आयु और अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबंधों सहित संख्या, न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव, परिलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(त) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना;

(थ) स्नातकों की अर्हताएं, शर्तें एवं पंजीयन की रीति और पंजीकृत स्नातकों की पंजी का अनुरक्षण;

(द) दीक्षांत समारोह, यदि कोई हो, का आयोजन; तथा

(ध) अन्य सभी मामले, जो इस अधिनियम द्वारा परिणियमों द्वारा उपबन्धित किए जाने चाहिए या उपबन्धित किये जा सकेंगे।

46-(1) विश्वविद्यालय का प्रथम परिणियम राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा बनाया जाएगा।

(2) कार्य परिषद समय-समय पर, नवीन या अतिरिक्त परिणियम बना सकती है या कुलाधिपति की अनुमति से समय-समय पर संशोधन या निरसन कर सकती है।

(3) कार्य परिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिणियम के किसी प्रारूप को तब तक प्रस्तावित नहीं करेगी जब तक कि उस प्राधिकरण को उक्त प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गई कोई राय लिखित रूप में होगी और कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

परिनियम बनाये जाने की रीतियाँ

(4) प्रत्येक नया परिनियम या परिवर्धन या परिनियम के किसी संशोधन या निरसन को कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उस पर सहमति दे सकेगा अथवा उसे अपनी अनुमति से रोक सकेगा या आगे विचार के लिए कार्य परिषद को भेज सकेगा।

(5) परिषद द्वारा पारित परिनियम उस तारीख से प्रभावी होगा जब उस पर कुलाधिपति द्वारा अनुमति दी गयी हो या ऐसी पश्चात्तवर्ती तारीख से प्रभावी होगा, जिसे उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(6) पूर्वगामी उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा अपने ज्ञान, अध्यापन अथवा अनुसंधान के हित में अथवा अध्यापकों, छात्रों अथवा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए, लिये गये अथवा नियामक निकाय के किसी सुझाव या अध्यापकों की अर्हताओं के सम्बंध में राज्य अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर लिये गये किसी विनिश्चय को पूरा करने के उद्देश्य से कार्य परिषद से विनिर्दिष्ट समय के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियमों को बनाने अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित/निरसित करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि कार्य परिषद उक्त शर्त का पालन करने में विफल होती है तो राज्य सरकार कुलाधिपति की सहमति से, नये परिनियमों को बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट विधियों में संशोधन या निरसन कर सकेगी।

(7) कार्यकारी परिषद को राज्य सरकार द्वारा उपधारा (6) के अधीन बनाये गये परिनियमों को संशोधित करने या निरस्त करने या उक्त परिनियमों से असंगत नए या अतिरिक्त परिनियमों को बनाने की कोई शक्ति नहीं होगी।

47-(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन, अध्यादेश में किसी अध्यादेश ऐसे मामले के लिए उपबंध किया जा सकेगा जिसे इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेश द्वारा उपबंध किया जाना चाहिए अथवा किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेश में निम्नलिखित मामलों के लिए उपबंध किया जा सकेगा:-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश और उनका नामांकन इस रूप में बना रहना;

(ख) सभी उपाधियों, डिप्लोमा एवं विश्वविद्यालय की अन्य शैक्षिक विशेषताओं के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम को निर्दिष्ट किया जाना;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमा में प्रवेश लिया जायेगा और वे उन उपाधियों तथा डिप्लोमा के प्रदान किये जाने के पात्र होंगे;

(घ) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, विशेष छात्रवृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को प्रदान किये जाने की शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के निवास की शर्तें तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्र निवासों एवं छात्रावासों का प्रबन्धन;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न किये जाने वाले छात्र निवासों और छात्रावासों की मान्यता एवं प्रबन्धन;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(ज) पत्राचार पाठ्यक्रमों तथा वैयक्तिक विद्यार्थियों से सम्बंधित सभी मामले;

(झ) पेरन्ट्स टीचर्स एसोसिएशन का गठन;

(ञ) शुल्क, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा या सम्बद्ध अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजनार्थ लिया जा सकेगा;

(ट) शर्तें, जिनके अधीन व्यक्तियों को छात्र निवासों एवं छात्रावासों में शिक्षण प्रदान करने के लिए अर्ह मानकर मान्यता प्रदान की जा सकेगी;

अध्यादेश
बनाने की रीति

(ठ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों, अनुसेवकों, अन्तरीक्षकों तथा सारिणीकारकों को नियुक्त करने की शर्तें, रीति तथा उनके कर्तव्य;

(ड) परीक्षाओं का संचालन;

(ढ) विश्वविद्यालयों के कार्यों के लिए नियोजित व्यक्तियों को संदाय किये जाने वाले यात्रा, पारिश्रमिक तथा दैनिक भत्ते सहित अन्य भत्ते;

(ण) अन्य सभी मामले जो इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उपबन्ध किये जाने में, अध्यादेशों द्वारा किये जायें।

48-(1) प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा. उसके बाद कुलाधिपति की सहमति से कार्य परिषद द्वारा बनाया जायेगा।

(2) विद्यमान विश्वविद्यालय के मामले में जब तक कि प्रथम अध्यादेश नहीं बनाया जाता है, लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यादेश जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापित किये जाने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त हों तथा इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, ऐसे अनुकूलनों तथा उपांतरणों के अधीन जिनका राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से उपबन्ध कर सकेगी, उसके लिए लागू होंगे :

परन्तु यह कि ऐसे किसी अध्यादेश के उपबंधों को इस अधिनियम एवं परिनियमों के उपबंधों के अनुरूप लाने के प्रयोजनार्थ, कुलाधिपति आदेश द्वारा अध्यादेशों के ऐसे अनुकूलन एवं उपांतरण को चाहे वे निरसन, संशोधन या जैसा आवश्यक या समीचीन हो, परिवर्धन के रूप में कर सकेगा कि अध्यादेश आदेश में विनिर्दिष्ट हो जाने की तारीख से इस प्रकार किये गये अनुकूलनों तथा उपांतरणों के अध्याधीन प्रभावी होंगे और ऐसे किसी अनुकूलन अथवा उपांतरण को प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा।

(3) इस खंड में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय कार्य परिषद समय-समय पर नए या अतिरिक्त अध्यादेशों को बना सकेगी अथवा उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अध्यादेशों को संशोधित या निरस्त कर सकेगी:

परन्तु यह कि ऐसा कोई अध्यादेश नहीं बनाया जाएगा, जो-

(क) छात्रों के प्रवेश को प्रभावित करता हो या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समकक्ष मानकर प्रदान की जाने वाली परीक्षाओं को अथवा विश्वविद्यालय की उपाधि के पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु धारा-45 की उपधारा (1) में उल्लिखित अतिरिक्त अर्हताओं को विहित करता है जब तक कि शैक्षिक परिषद द्वारा उसके प्रारूप को प्रस्तावित न किया गया हो; या

(ख) परीक्षकों की नियुक्ति एवं कर्तव्यों की शर्तों और पद्धति तथा परीक्षाओं के संचालन या मानक या अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम, सम्बंधित संकाय या संकायों के प्रस्ताव के सिवाय, प्रभावित करता हो और जब तक उस अध्यादेश के प्रस्ताव को विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो; या

(ग) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं और परिलब्धियों अथवा विश्वविद्यालय के आय या व्यय को प्रभावित करता हो, जब तक कि उसके प्रारूप को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(4) कार्य परिषद को उपधारा (3) के अधीन शैक्षिक परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या ऐसे किसी संशोधन के साथ जिसे कार्य परिषद सुझाव दे या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से पुनर्विचार किये जाने के लिए विद्या परिषद को लौटा सकेगी।

(5) कार्य परिषद द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश उस दिनांक से प्रभावी होंगे जिस दिनांक को वह निर्दिष्ट करे और उसे यथासंभव शीघ्र कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(6) कुलाधिपति किसी समय उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश को छोड़कर अन्य अध्यादेशों के सम्बंध में अपनी अस्वीकृति संज्ञापित कर सकेंगे और उस अस्वीकृति की सूचना कार्यपरिषद द्वारा प्राप्त किये जाने के दिनांक से उक्त अध्यादेश शून्य हो जायेगा।

(7) कुलाधिपति यह निर्देशित कर सकते हैं कि उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश को छोड़कर अन्य किसी अध्यादेश का प्रवर्तन निलंबित कर सकते हैं जब तक कि उन्हें अस्वीकृति हेतु अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न प्राप्त हुआ हो। इस उपधारा के अधीन निलंबन का आदेश उक्त आदेश के दिनांक से एक माह के समाप्त होने पर प्रभाव रखना बन्द कर देगा।

49-(1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालय का प्राधिकरण या अन्य निकाय विनियमों की रचना कर सकेगा, जिनमें :-

(क) बैठक में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति का गठन करने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या को निर्दिष्ट किया जाये;

(ख) ऐसे सभी मामलों के लिए उपबन्ध करना जिन्हें इस अधिनियम, परिनियम अथवा अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किया जाना चाहिए; तथा

(ग) उस प्राधिकरण या निकाय के सम्बंध में या किसी अन्य मामले के लिए उपबंध करना जिनके बारे में इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया जाता है।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय द्वारा बनाए गए विनियमों में बैठकों की तिथियाँ और उनमें संव्यवहार किये जाने वाले कार्यों के सम्बंध में उसके सदस्यों को नोटिस देने के लिए और उन बैठकों में कार्यवाही के अभिलेखों को रखने के लिए उपबंध किये जा सकेंगे।

(3) कार्यपरिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा अन्य निकाय को यह निर्देशित कर सकेगी कि वह उस प्राधिकरण या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को निर्देश में जैसा निर्दिष्ट किया जाये उस रूप में रद्द कर सकेगी या संशोधित कर सकेगी :-

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण या अन्य निकाय, यदि ऐसे किसी निर्देश से असंतुष्ट हो तो कुलाधिपति से अपील कर सकेगा जो कार्यपरिषद का मत प्राप्त करने के बाद ऐसे आदेशों को पारित कर सकेगा जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

(4) विद्या परिषद अध्यादेशों के उपबंधों के अध्याधीन विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि अथवा डिप्लोमा के अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए उपबन्ध करते हुए, विनियमों की विरचना संबंधित संकाय के परिषद के प्रारूप को प्रस्तावित करने के पश्चात् ही कर सकेगी।

(5) विद्या परिषद को उपधारा (4) के अधीन संकाय के परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित या अस्वीकार करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु वह उसे अपने निजी सुझावों के साथ अग्रेतर विचार करने के लिए परिषद को लौटा सकेगी।

50-प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु कार्यपरिषद के निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

अध्याय-नौ

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

51-(1) विश्वविद्यालय एक निधि की स्थापना करेगा जिसे विश्वविद्यालय निधि कहा जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय निधि में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होंगे:-

(क) राज्य सरकार, केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई अंशदान या अनुदान;

विनियम

वार्षिक रिपोर्ट

विश्वविद्यालय
निधि, लेखा
और लेखा
परीक्षा



(ख) फीस और शुल्क से आय सहित सभी स्रोतों से विश्वविद्यालय की आय;
(ग) ऋण, उपहार, दान, बंदोंबस्ती, उपकार, वसीयत और अन्य अनुदान, यदि कोई हो, या अंतरण;

(घ) राज्य सरकार की अनुमति से बैंकों से ऋण ली गई कोई राशि;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धन।

(3) विश्वविद्यालय निधि को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में वित्त समिति की सिफारिशों पर कार्य परिषद के विवेक पर रखा जाएगा।

(4) विश्वविद्यालय की निधियों को विश्वविद्यालय के व्ययों, जिसमें उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कार्यों के निर्वहन में किए गए व्यय शामिल हैं, को निर्देशानुसार सम्मिलित किया जायेगा।

(5) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और तुलन-पत्र को कार्यपरिषद के निर्देशानुसार वित्त समिति द्वारा तैयार किया जायेगा और चाहे जिस भी स्रोत से विश्वविद्यालय को अर्जित होने वाले अथवा प्राप्त सभी धन एवं संचरित अथवा संदत्त सभी धनराशियों की प्राविष्टि विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित खातों में की जायेगी।

(6) वार्षिक खातों और तुलन-पत्र की प्रति, राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जो उसका अंकेक्षण करायेगी।

(7) वार्षिक सम्परीक्षित खातों एवं अंकेक्षण किये गये तुलन-पत्र को मुद्रित किया जाएगा और उसकी प्रतियां, कार्य परिषद द्वारा अंकेक्षण की रिपोर्ट की प्रतियों के साथ राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(8) कार्यपरिषद ऐसी तारीख के पूर्व जिसे विहित किया जाए, आने वाले वर्ष के लिए बजट तैयार करेगी।

(9) उपरोक्त नये व्यय के प्रत्येक मद जिसे चिह्नित किया जाय, जिसका बजट में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित हो, कार्यपरिषद द्वारा वित्त समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा जो उस पर संस्तुतियां कर सकती है।

(10) कार्यपरिषद वित्त समिति की संस्तुतियों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात बजट का अंतिम रूप से अनुमोदन करेगी।

(11) कुलपति या कार्यपरिषद के लिए कोई व्यय उपगत करना विधिसम्मत नहीं होगा:-

(क) जो या तो बजट में स्वीकृत न हो अथवा जो विश्वविद्यालय को प्रदान की गयी निधियों की दशा में, बजट की स्वीकृति के पश्चात, राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या फाउंडेशन द्वारा, उस अनुदान के निबंधनों के सिवाय अन्य किसी प्रकार से प्रदान की जाने वाली निधियों की दशा में :

परन्तु यह कि धारा 12 की उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलपति अग्नि, बाढ़, अतिवृष्टि या अन्य अचानक अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं और परिस्थितियों में, पांच लाख रुपये से अनाधिक अनावर्ती व्यय उपगत कर सकेगा, जिसकी बजट में स्वीकृति प्रदान न की गयी हो और वह उन सभी व्ययों के सम्बंध में राज्य सरकार को तत्काल सूचित करेगा;

(ख) कुलाधिपति के अथवा राज्य सरकार के ऐसे किसी भी आदेश के, जिसका इस अधिनियम के अधीन किया जाना तात्पर्यित हो, के विरोध में किसी वादकरण पर।

(12) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन वित्तीय पुस्तिका में वर्णित राज्य सरकार के सभी प्रासंगिक वित्तीय नियम लागू होंगे।

52-(1) धारा 9 के खंड (ग) से (ज) में से निर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के अधिभार किसी धन या संपत्ति की हानि, दुर्घ्य अथवा दुरुपयोजन, के लिए अधिभार हेतु उत्तरदायी होगा, बशर्ते वह हानि दुर्घ्य अथवा दुरुपयोजन, उसकी अपेक्षा या कदाचार का सीधा परिणाम हो।

(2) ऐसी हानि, दुर्घ्य अथवा दुरुपयोजन में अन्तर्वलित अधिभार की प्रक्रिया और धनराशि की वसूली की रीति वह होगी जिसे विहित किया जाए।

अध्याय-दस

सम्बद्ध महाविद्यालयों का विनियमन

53-(1) सम्बद्ध महाविद्यालय का विनियमन परिनियमों द्वारा विहित किया जाएगा।

(2) किसी सम्बद्ध अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के सम्बंध में 'संपत्ति' में महाविद्यालय की सम्पत्ति सम्मिलित है जिसमें स्थावर एवं जंगम सम्पत्ति सम्मिलित है, जो उस महाविद्यालय से सम्बंधित हो या उस महाविद्यालय के लाभ के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से विन्यासित हो और जिसमें भूमि, भवन (छात्रावासों सहित), कार्यशाला, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण, उपस्कर, फर्नीचर, स्टेशनरी, भण्डारण, जिसमें ऑटोमोबाइल और अन्य वाहन यदि कोई हो, और महाविद्यालय से संबंधित अन्य चीजें, हस्तगत रोकड़, बैंक में रोकड़, विनियोग, पुस्तकीय ऋण और अन्य सभी अधिकार एवं हित से उत्पन्न होते हैं, उस महाविद्यालय के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो सकते हैं और सभी लेखा पुस्तकें, पंजियां तथा उनसे सम्बंधित किसी प्रकृति के सभी दस्तावेज सम्मिलित हैं, और उनका महाविद्यालय के किसी प्रकार के सभी विद्यमान उधारियों, दायित्वों एवं बाध्यताओं का सम्मिलित किया जाना समझा जाएगा।

(3) 'वेतन' का तात्पर्य परिलब्धियों से है जिनके अनुज्ञेय कर्तव्यों के पश्चात किसी अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी को संदेय तत्समय महंगाई या अन्य कोई भत्ता सम्मिलित है।

54-यदि राज्य सरकार किसी सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय (राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पोषित महाविद्यालय को छोड़कर) के संबंध में सूचना प्राप्त करती है:-

(एक) कि उसके प्रबंधतंत्र ने उस महाविद्यालय के शिक्षकों या अन्य कर्मचारियों के वेतन के संदाय में उस माह के पश्चात जिसके सम्बंध में या जिसके किसी भाग के सम्बंध में वह संदेय है, अगले माह के 20वें दिन तक संदाय करने में लगातार जानबूझकर व्यतिक्रम कारित किया है; अथवा

(दो) कि उसका प्रबंधतंत्र ऐसी अर्हताओं को धारित करते हुए अध्यापक स्टाफ की नियुक्ति करने में विफल रहा है जो महाविद्यालय के संबंध में शैक्षणिक मानकों को बनाये रखने को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक है। परिनियमों अथवा अध्यादेशों के उल्लंघन में किसी अध्यापक को नियुक्त किया है अथवा उसे सेवा में प्रतिधारित किया है; अथवा

(तीन) कि उसके प्रबंधतंत्र के विधिपूर्ण पदाधिकारी होने के लिए भिन्न व्यक्तियों द्वारा दावाकृत अधिकार के संबंध में किसी विवाद में महाविद्यालय के निर्बाध और व्यवस्थित प्रशासन को प्रभावित किया है; अथवा,

(चार) कि उसका प्रबंधतंत्र महाविद्यालय को इतनी पर्याप्त और समुचित जगह, पुस्तकालय, फर्नीचर, स्टेशनरी, प्रयोगशाला, उपकरण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने में लगातार विफल रहा है, जो महाविद्यालय के कुशल प्रशासन हेतु आवश्यक है; अथवा

(पांच) कि उसके प्रबंधतंत्र ने महाविद्यालय का अहित करने के लिए महाविद्यालय की संपत्ति को पर्याप्त रूप से व्यपवर्तन, दुरुपयोग, दुर्विनियोग किया है;

वह प्रबंधतंत्र को इस विषयक कारण बताने के लिए आहूत कर सकेगा कि क्यों न धारा 55 के अधीन आदेश किया जाये:

परन्तु यह कि जहां इस विषय पर विवाद हो कि प्रबंधतंत्र के पदाधिकारी कौन है, तो ऐसा होने का दावा करते हुए सभी व्यक्तियों को नोटिस जारी की जायेगी।

सम्बद्ध
महाविद्यालयों
का विनियमन

नोटिस जारी
करने की
राज्य सरकार
की शक्ति



प्राधिकृत नियंत्रक

55-(1) यदि राज्य सरकार का, धारा 54 के अधीन प्रबंधतंत्र द्वारा दाखिल स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद यह समाधान हो जाता है कि उस धारा में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है, तो वह आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को दो वर्ष से अधिक की ऐसी अवधि के लिए जिसे विनिर्दिष्ट किया जाये, महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र का और प्रबंधतंत्र को पृथक कर उसकी संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है और जब कभी प्राधिकृत नियंत्रक इस प्रकार प्रबंधतंत्र का अधिग्रहण करता है तो उसे, केवल ऐसे प्रतिबंधों के अधीन, जिन्हें राज्य सरकार अधिरोपित कर सकेगी, उस महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र एवं उसकी संपत्ति के संबंध में उन सभी शक्तियों एवं प्राधिकार को प्राप्त करेगा जिसे प्रबंधतंत्र ने उस दशा में प्राप्त किया होता जब महाविद्यालय एवं उसकी संपत्ति को इस उपधारा के अधीन अधिग्रहीत न किया गया होता :

परन्तु यदि राज्य सरकार की राय हो कि महाविद्यालय के समुचित प्रबंधन और उसकी संपत्ति को सुनिश्चित बनाये रखने के उद्देश्य से ऐसा करना समीचीन है, तो वह समय-समय पर उस अवधि के लिए, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, आदेश के प्रवर्तन को विस्तारित कर सकेगा जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार के आदेश के प्रवर्तन की अवधि जिसमें इस उपधारा के अधीन प्रारंभिक आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि को सम्मिलित किया गया है, 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी:

परन्तु अग्रेतर यह कि यदि 05 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर, उस महाविद्यालय का कोई विधिपूर्ण ढंग से गठित किया गया प्रबंधतंत्र न हो तो प्राधिकृत नियंत्रक उस रूप में कार्य करता रहेगा, जब तक कि राज्य सरकार का यह समाधान न हो जाये कि प्रबंधतंत्र का विधिपूर्ण ढंग से गठन किया गया है:

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार किसी भी समय इस उपधारा के अधीन किए गए आदेश का प्रतिसंहरण कर सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार की धारा 54 के अधीन नोटिस जारी करते समय, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, यह राय हो कि महाविद्यालय के हित में तत्काल कार्यवाई आवश्यक है, तो वह प्रबंधतंत्र को निलंबित कर सकेगी, जो उसके पश्चात् कार्य करना बंद कर देगी एवं वह ऐसे प्रबंध कर सकेगी जिसे वह महाविद्यालय के कार्यकलाप और उसकी संपत्ति का, अग्रेतर कार्यवायियों के पूर्ण होने तक प्रबंध करने हेतु उचित समझे:

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी आदेश उस आदेश के अग्रसर करने के प्रबंधतंत्र के वास्तविक अधिग्रहण की तारीख से 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा :

परन्तु यह और कि 06 माह की उक्त अवधि की संगणना में, वह समय जिसके दौरान आदेश के प्रवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश द्वारा निलंबित किया गया था अथवा कोई भी अवधि जिसके दौरान प्रबंधतंत्र धारा 54 के अधीन नोटिस के अनुसरण में कारण बताने में असफल हुआ था, अपवर्जित की जायेगी।

(3) उपधारा (1) में कही गयी किसी भी बात का प्राधिकृत नियंत्रक पर राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के महाविद्यालय के किसी अनुदान को प्राप्त करने की शर्त के सिवाय महाविद्यालय की किसी स्थावर संपत्ति का अन्तरण करने (प्रबंधतंत्र के साधारण अनुक्रम में प्रत्येक माह किराये पर देने अथवा उस पर किसी प्रभार का सृजन करने के सिवाय) की शक्ति को प्रदान करने के रूप में अर्थान्वित नहीं किया जायेगा।

(4) इस धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश का महाविद्यालय के अथवा उसकी संपत्ति के प्रबंध और नियंत्रण से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य की किसी अन्य अधिनियमिति में अथवा किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होगा:

परन्तु यह कि महाविद्यालय की संपत्ति और उससे प्राप्त कोई भी आय ऐसे किसी लिखत में यथा उपबंधित महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती रहेगी।

(5) निदेशक, संस्कृति निदेशालय प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे निर्देश दे सकेगा जिन्हें वह महाविद्यालय अथवा उसकी संपत्ति के समुचित प्रबंध हेतु आवश्यक समझे और प्राधिकृत नियंत्रक उन निर्देशों का पालन करेगा।

56-धारा 55 में कही गयी कोई भी बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी।

57-(1) जहां किसी महाविद्यालय के संबंध में धारा 55 के अधीन आदेश पारित किया गया हो। वहाँ ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसका कब्जा या अभिरक्षा या जिसके नियंत्रण में महाविद्यालय की कोई भी संपत्ति हो सकेगी, प्राधिकृत नियंत्रक को उक्त सम्पत्ति तत्काल सौंप देगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो उस आदेश की तारीख पर महाविद्यालय से अथवा उसकी संपत्ति से संबंधित किन्हीं पुस्तकों अथवा अन्य दस्तावेजों का कब्जा रखता है या उन्हें अपने नियंत्रण में रखता है, तो उक्त पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों के हिसाब किताब के लिए प्राधिकृत नियंत्रक के प्रति उत्तरदायी होगा और वह उसे या ऐसे व्यक्ति को जिसे प्राधिकृत नियंत्रक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उन्हें प्रदान करेगा।

(3) प्राधिकृत नियंत्रक महाविद्यालय या उसकी संपत्ति या उसके किसी भाग के कब्जा पर नियंत्रण के परिदान के लिए कलेक्टर के समक्ष आवेदन कर सकेगा और कलेक्टर उस महाविद्यालय या संपत्ति के कब्जे को प्राधिकृत नियंत्रक के लिए सुनिश्चित कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकेगा अथवा विशेष रूप से ऐसे शक्ति का प्रयोग कर सकेगा या प्रयोग करा सकेगा जो आवश्यक हो।

58-(1) जो कोई धारा 42 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, सिद्ध दोष हो जाने पर, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन माह तक हो सकेगी अथवा अर्थदण्ड से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो :-

(क) किसी ऐसे महाविद्यालय की किसी संपत्ति को अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में रखते हुए, जिसके संबंध में धारा 55 के अधीन आदेश दिया गया हो, सदोष उस सम्पत्ति को उस धारा के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक से अथवा उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति से सदोष प्रतिधारित करता है; अथवा

(ख) उस महाविद्यालय की किसी संपत्ति का सदोष कब्जा प्राप्त करता है; अथवा

(ग) कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज, जो उसके कब्जे या अभिरक्षा या नियंत्रण में हो सकते हैं, प्रतिधारित करता है अथवा प्राधिकृत नियंत्रक या धारा 57 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को प्रदान करने में विफल हो जाता है; या

(घ) किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के सभी उपबंधों या उनमें से किसी को सम्यक् रूप से कार्यान्वित करने में जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करता है; सिद्ध दोष किये जाने पर ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, या अर्थदण्ड से या दोनों से दंडित किया जाएगा:

परन्तु यह कि इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी अपराध के विषय में विचार करते हुए न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति के, सिद्ध दोष करने के समय न्यायालय द्वारा नियत किये जाने वाले समय के भीतर सदोष प्रतिधारित या सदोष प्राप्त कोई भी सम्पत्ति अथवा सदोष प्रतिधारित कोई भी पुस्तक या अन्य दस्तावेज परिदत्त या प्रतिदाय करने के लिए आदेशित कर सकेगा।

धारा 55
अल्पसंख्यक
महाविद्यालयों
पर लागू नहीं
होगा
प्राधिकृत
नियंत्रक को
कब्जे का
परिदान करने
का कर्तव्य

अपराध और
शास्तियां

न्यायालय द्वारा
संज्ञान
पंजीकृत
समितियों द्वारा
अपराध

59-कोई न्यायालय राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना धारा 58 के अधीन दंडनीय अपराध को संज्ञान में नहीं लेगा।

60-(1) यदि धारा 58 के अधीन अपराध कारित करने वाला व्यक्ति सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी है, तो वह सोसाइटी और साथ ही अपराध कारित किये जाने के समय उसके कार्य के संचालन हेतु सोसाइटी प्रभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को उस अपराध का दोषी माना जाएगा और वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित किये जाने के लिए उत्तरदायी होगा:

परन्तु यह कि इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी, यदि यह साबित हो जाता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था अथवा यह कि उसने उक्त अपराध कारित करने का निवारण करने के लिए सम्यक् प्रयास किया था।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी पंजीकृत सोसाइटी द्वारा कारित किया गया हो और यह सिद्ध हो जाये कि वह उस अपराध को सोसाइटी के किसी सदस्य की सहमति या दुरभिसंधि से कारित किया गया है अथवा यह कि अपराध का किया जाना सोसाइटी के किसी सदस्य के पक्ष में किसी अपेक्षा के कारण है तो उस सदस्य को भी उस अपराध का दोषी होना समझा जायेगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं तदनुसार जिम्मेदार सोसाइटी के किसी सदस्य की ओर से किसी अपेक्षा के लिए, ऐसे सदस्य को भी उस अपराध का दोषी होना समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं तदनुसार दण्डित किये जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

अध्याय-ग्यारह

आकस्मिक रिक्तियां, राज्य सरकार द्वारा निर्देश और कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाना

आकस्मिक
रिक्तियों को
भरा जाना

61-(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के पदेन सदस्यों को छोड़कर सदस्यों में किसी आकस्मिक रिक्ति को ऐसी रीति से भरा जायेगा जिसमें सदस्य, जिनकी रिक्ति को भरा जाना है, चुना गया था और रिक्ति को भरने वाला व्यक्ति उस प्राधिकरण या निकाय का उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उस व्यक्ति, जिसके स्थान को उसने भरा है, सदस्य रहा होता।

(2) व्यक्ति जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य है चाहे वह विश्वविद्यालय का हो, या बाहर का, उस प्राधिकरण में अपना पद तब तक प्रतिधारित करेगा जब तक वह उस निकाय का सदस्य बना रहता है।

62- विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय या समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी-

कार्यवाहियों को
रिक्तियों आदि
द्वारा
अविधिमान्य नहीं
बनाया जायेगा

- (क) उसके गठन में कोई रिक्ति या दोष हो, या
- (ख) कार्यवाही में भाग लेने पर कोई व्यक्ति, जो सेवा करने का हकदार नहीं था, या
- (ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करते हुए व्यक्ति के चुनाव, नामांकन या नियुक्ति में कोई दोष हो, या
- (घ) वाद के गुणावगुण को प्रभावित न करते हुए उसकी प्रक्रिया में कोई अनियमितता हो।

63-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के किसी व्यक्ति की सदस्यता इस आधार पर स्वतः समाप्त हो जाएगी कि ऐसे व्यक्ति को नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या इस आधार पर कि वह निंदनीय आचरण का दोषी है या उसने विश्वविद्यालय के किसी सदस्य के साथ अशोभनीय तरीके से व्यवहार किया है और उसी आधार पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या प्रदान की गई किसी डिग्री या प्रमाण-पत्र को वापस ले सकता है।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाना

64-(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश या कार्यवाही या संकल्प की एक प्रति या विश्वविद्यालय के कब्जाधीन अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत बनाए गए किसी रजिस्टर में कोई प्रविष्टि यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हों, ऐसी रसीद, आवेदन, आदेश कार्यवाहियों, संकल्प या दस्तावेज या रजिस्टर में प्रविष्टि के साक्ष्य को प्रथम दृष्टया साक्ष्य माना जायेगा और उसमें दर्ज मामलों को लेन-देन के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा जहां उसका मूल यदि पेश किया गया होता तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होता।

विश्वविद्यालय के अभिलेख के प्रमाण का तरीका

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से किसी कार्यवाही, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार नहीं है, में विश्वविद्यालय का कोई दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी, जिसकी विषय-वस्तु उपधारा (1) के अधीन साबित की जा सकती है। किन्तु प्रमाणित प्रति या उसमें दर्ज मामलों और लेन-देन को साबित करने के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा, जब तक कि विशेष कारण के लिए न्यायालय का आदेश नहीं होता है।

65-(1) जहां किसी सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र का किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने, पदावनत करने या अन्य तरीके से उसे दण्डित करने या उसकी सेवाएं समाप्त करने का विनिश्चय कुलपति द्वारा अनुमोदित न हो और जहां ऐसे अध्यापक के निलंबन के आदेश को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कुलपति द्वारा रोक दिया गया हो, रद्द कर दिया गया हो या संशोधित किया गया हो, ऐसे अध्यापक के वेतन का भुगतान करने में प्रबंधतंत्र ने चूक किया है, जो कुलपति के आदेश के फलस्वरूप उसके लिए देय हो, वहाँ कुलपति एक ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जिसमें प्रबंधतंत्र को वेतन का भुगतान करने के लिए आदेश दे सकता है, जैसा कि निलंबन अवधि के दौरान आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो और प्रबंधतंत्र से निलंबन अवधि के दौरान संदेय वेतन के एक तिहाई से निलम्बन भत्ता का भुगतान करने की भी अपेक्षा कर सकता है, यदि उक्त धनराशि संदत्त न की गयी हो।

प्रबन्धन के विरुद्ध अपना आदेश प्रवर्तित करने के लिए कुलपति की शक्ति

(2) ऐसे किसी मामले में जैसा कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट है कुलपति संबंधित अध्यापक की बहाली का आदेश ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन कर सकता है जो वह ठीक समझे।

(3) उपधारा (1) के अधीन कुलपति के आदेश के अधीन भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक वेतन या निलंबन भत्ता की राशि उसके द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र पर कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन कुलपति का प्रत्येक आदेश क्षेत्रीय अधिकारिकता वाले अवर सिविल न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य होगा जैसा कि उस न्यायालय की डिक्री हो।

(5) किसी भी प्रबंधतंत्र या अध्यापक के विरुद्ध किसी भी तरीके से कोई मुकदमा नहीं होगा जिसके लिए इस धारा के अधीन कुलपति द्वारा राहत दी जा सकती है।

66-अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली, परिनियमावली या विनियमावली के अनुसरण में कृत या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार या संस्कृति निदेशक या प्राधिकृत नियंत्रक या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

वाद पर रोक

निर्देश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति

67-(1) राज्य सरकार को समय-समय पर विश्वविद्यालय को निर्देश जारी करने की शक्ति होगी, जैसा कि इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार आवश्यकता पड़ने पर निम्नलिखित मामलों के संबंध में निर्देश जारी कर सकती है, अर्थात् :-

- (क) शुल्क और शुल्क;
- (ख) धन जुटाना और धन उधार लेना;
- (ग) पदसृजन और नियुक्तियाँ;
- (घ) वेतनमानों में संशोधन और वेतनमानों का उन्नयन ।

कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाना

68-यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विधिवत रूप से नियुक्त किया गया है, या वह विश्वविद्यालय के किसी या अन्य निकाय का सदस्य होने का हकदार है, या क्या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई निर्णय परिनियम या विनियम की विधि मान्यता से संबंधित कोई प्रश्न शामिल है, जो राज्य सरकार या कुलाधिपति द्वारा बनाया या अनुमोदित कोई परिनियम या अध्यादेश न हो, इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों या विनियमों के अनुरूप है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई निर्देश नहीं दिया जायेगा।

(क) उस तारीख के तीन महीने से अधिक समय के बाद जब पहली बार प्रश्न उठाया जा सकता था;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या पीड़ित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा :

परन्तु यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में-

(क) पूर्ववर्ती परंतुक में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के बाद स्वप्रेरणा से कार्य करे या किसी संदर्भ पर विचार करे;

(ख) जहां निर्दिष्ट तरीके से चुनाव के बारे में विवाद हो, और इस प्रकार चुने गए व्यक्ति की योग्यता संदेह में है, ऐसे आदेश पारित करे जो वह उचित और समीचीन समझे।

अध्याय-बारह

नामांकन डिग्री, डिप्लोमा और अन्य

नामांकन हेतु छात्रों की अर्हता

69-(1) कोई छात्र डिग्री के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि-

(क) वह उत्तीर्ण न हो-

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा, जो तत्समय किसी भी विधि द्वारा वर्तमान में लागू हो; या

(दो) किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा कोई परीक्षा या उसके द्वारा प्रदत्त कोई डिग्री, जो विश्वविद्यालय द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष या विश्वविद्यालय की डिग्री के रूप में मान्यताप्राप्त परीक्षा या डिग्री हो; तथा

(ख) उसके पास ऐसी और योग्यताएं, अर्हताएं, यदि कोई हों, जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) जिन शर्तों के अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जा सकता है, वे विनियमों द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

(3) विश्वविद्यालय को (किसी डिग्री के अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए), अपनी स्वयं की डिग्री के समकक्ष किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई किसी डिग्री या इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष परीक्षा और भारतीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी समकक्ष परीक्षा को मान्यता देने की शक्ति होगी।

(4) कोई भी छात्र जिसका कार्य या आचरण असंतोषजनक है, उसे अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से हटाया जा सकता है।

70-कार्य परिषद विद्या परिषद की सिफारिश पर ऐसी डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान कर सकती है जैसा कि निर्धारित किया जाय।

उपाधि,
डिप्लोमा और
अन्य शैक्षणिक
विशिष्टता
मानद उपाधि

71-यदि, विद्या परिषद की सिफारिश पर कार्य परिषद के कम से कम दो तिहाई सदस्यों ने सिफारिश की है कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर मानद उपाधि या अन्य शैक्षणिक सम्मान प्रदान किया जाए कि वह उनकी राय में प्रतिष्ठित पद और उपलब्धियों के कारण उपयुक्त और उत्तम व्यक्ति है जो ऐसी उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त करने हेतु कुलाधिपति द्वारा सिफारिश की पुष्टि की गयी हो, कार्य परिषद ऐसे व्यक्ति को उससे किसी परीक्षा से गुजरने की अपेक्षा के बिना मानद डिग्री या अन्य शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान कर सकती है, जिसकी सिफारिश की गई है।

72-(1) कुलाधिपति कार्य परिषद की सिफारिश पर, नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दिए गए किसी सम्मान, डिग्री, डिप्लोमा या विशेषाधिकार को प्रत्याहृत कर सकता है या यदि वह कार्य परिषद की कुल सदस्यों के बहुमत से और उपस्थित और मतदान करने वाले कार्य परिषद के सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा घोर कदाचार का दोषी रहा है।

डिग्री या
डिप्लोमा का
प्रत्याहृत
किया जाना

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उसे प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दिया गया हो।

(3) कार्य परिषद द्वारा इस प्रकार पारित संकल्प तत्काल लागू होगा और उसकी प्रति संबंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी।

अध्याय-तेरह

अस्थायी उपबंध

73-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व की तारीख को विद्यमान विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यकाल की समाप्ति तक उसी नियम और शर्तों पर पद धारण करता रहेगा।

विश्वविद्यालय
के विद्यमान
अधिकारियों की
निरंतरता

(2) राज्य सरकार इस अधिनियम के पारित होने के तुरंत बाद या यथाशक्य शीघ्र एक महीने की अवधि के भीतर, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति करेगी।

74-(1) किसी विद्यमान विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद यथाशीघ्र इस अधिनियम के अनुसार गठित किया जाएगा और इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व ऐसे प्राधिकरण के सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा।

प्राधिकरणों के
गठन के लिए
संक्रमणीय
उपबंध

(2) जब तक उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का गठन नहीं किया जाता है, तब तक राज्य सरकार समय-समय पर आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन प्रयोक्तव्य या निर्वहन करने योग्य शक्तियाँ, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग और निस्तारण किसके द्वारा और किस तरीके से किया जा सकता है।

(3) धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा प्रथम कुलपति की नियुक्ति इस अधिनियम के पारित होने के बाद यथाशक्य शीघ्र अनधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे नियमों और शर्तों पर की जाएगी जो राज्य सरकार उचित समझे।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रथम कुलपति को सलाहकार समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें उच्च शिक्षा, शिक्षा (कला संगीत और संस्कृति), प्रशासन, निर्माण, कम्प्यूटर के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले और विधि (जिला न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त व्यक्ति) और वित्त तथा विश्वविद्यालय के सुचारु कामकाज के लिए आवश्यक अन्य संबंधित क्षेत्रों के व्यक्ति राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(5) प्रथम कुलपति का निम्नलिखित कर्तव्य होगा:-

(क) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के गठन की व्यवस्था, उसकी नियुक्ति के दिनांक के पश्चात् छः महीने के भीतर करना;

(ख) कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से प्रथम परिनियमावली, अध्यादेश या विनियमावली द्वारा उपबंधित न किये गये किसी मामले का उपबंध करना;

(ग) औपबंधिक प्राधिकरणों तथा निकायों का गठन करना और उनकी संस्तुतियों के आधार पर विश्वविद्यालय के कार्य संचालन का उपबंध करते हुए नियमावली बनाना;

(घ) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन और नियंत्रण से ऐसी वित्तीय व्यवस्था करना जैसा कि इस अधिनियम या उसके किसी भाग के उत्तम क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो;

(ङ) अपने ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के लिए जैसा वह निर्देश दे कोई समितियाँ नियुक्त करना जैसा कि वह उचित समझे; और

(च) सामान्यतः इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या तद्दीन कार्य परिषद को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग करना।

(6) सलाहकार समिति का कार्यकाल इस धारा की उपधारा (4) और (5) में यथा प्रदत्त प्रथम कुलपति का कर्तव्य और उसकी शक्तियाँ उसके कार्यकाल के लिए सह-विस्तारी होंगी।

अध्याय-चौदह

अनुपूरक उपबंध

75-यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ऐसे उपबंध कर सकती है, जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

कठिनाईयाँ दूर करने की राज्य सरकार की शक्ति

76-(1) विश्वविद्यालय, अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से ऐसी समितियों का गठन कर सकता है, जो इसके लिए अपेक्षित हो।

(2) ऐसी समिति का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किए जाएँ।

77-इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन कुलपति शिकायत से संबंधित तथ्यों को एकत्र करने के लिए इस रीति से एक आंतरिक समिति का गठन कर सकता है और एक निर्धारित समय सीमा के भीतर सकारण आदेश पारित कर सकता है।

78-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन, जब तक विश्वविद्यालय के कृत्यों के लिए परिनियमावली, अध्यादेश और विनियमावली नहीं बनाए जाते हैं तब तक अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारिवर्ग के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई, पदोन्नति, वित्तीय लेनदेन या किसी अन्य मामले, जो विश्वविद्यालय से संबंधित हों, के संबंध में सरकारी नियमावली लागू होगी।

(2) विश्वविद्यालय में प्रत्येक अध्यापन एवं अध्यापनेतर पद का सृजन राज्य सरकार की पूर्वानुमति से किया जायेगा।

79-(1) संस्कृति अनुभाग का शासनादेश संख्या- 274/चार-201-11(12)/83, दिनांक 18 अप्रैल, 2001 और मातखण्डे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2022) एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्वोक्त शासनादेश के अधीन कृत समस्त नियुक्तियाँ, जारी आदेश, प्रदान की गयी उपाधि या डिप्लोमा या जारी किए गए प्रमाण-पत्र, दिये गये विशेषाधिकार या कृत अन्य चीजें (स्नातकों के पंजीकरण सहित) इस अधिनियम के समान उपबंधों के अधीन क्रमशः किये गये, जारी किये गये, प्रदत्त, दिये गये या किये गये समझे जायेंगे और इस अधिनियम द्वारा या तद्दीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय तब तक प्रवृत्त रहेंगे, जब तक इस अधिनियम के अधीन कृत किसी आदेश द्वारा उन्हें अधिक्रान्त नहीं किया जाता है। इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व कृत चयन समिति की समस्त कार्यवाहियाँ, प्रबंधतंत्र की समस्त कार्यवाहियाँ या ऐसी चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कृत कार्यवाहियाँ, जहाँ इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व उसके आधार पर नियुक्ति का कोई आदेश पारित न किया गया हो, इस बात के होते हुए कि चयन प्रक्रिया इस अधिनियम द्वारा संशोधित कर दी गयी है, विधिमान्य समझे जायेंगे, किन्तु ऐसे लम्बित चयनों के संबंध में अग्रतर कार्यवाही इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जायेगी और प्रक्रम से जारी रहेगी जिस प्रक्रम पर वे उक्त प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान थीं।

(3) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समग्रों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में संगीत और कला के विकास की अपार संभाव्यता है। संगीत और कला में विशेष रुचि रखने वाले छात्रों और भविष्य में इसे एक व्यावसायिक वृत्ति के रूप में अंगीकृत करने की अभिरूचि रखने वालों के लिए राज्य में न केवल कला, संगीत और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है, बल्कि कला और संगीत को एक व्यवसाय के रूप में चयन करने का उन्हें विकल्प प्रदान करने की भी आवश्यकता है।

कला और संगीत के क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना करके नवोदित छात्रों को उत्तम शिक्षा तथा प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने और कला, संगीत एवं संबंधित शाखा विषयक पाठ्यक्रमों में आधारभूत शिक्षा के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण अंगीकृत करने के उद्देश्य से कला, संस्कृति और उस क्षेत्र के युवाओं के निमित्त नियोजन संबंधी अवसर सृजित करने के अभिनव आयामों वाले छात्रों में कौशल तथा भौतिक अभिरूचि की अभिवृद्धि करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में विद्यमान भातखण्डे संगीत सम विश्वविद्यालय, लखनऊ का उच्चीकरण तथा पुनर्निर्माण करने और उससे संबंधित तथा अनुषांगिक मामलों की दृष्टि से एक अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तारण विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने का विनिश्चय किया गया था।

चूंकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं था और उपरोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 जनवरी, 2022 को भातखण्डे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2022) प्रख्यापित किया गया।

पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।